

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, FARIDKOT HOUSE, NEW DELHI

O.A. NO. 704 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Mr. Zafar Abbas

...Applicant

Versus

State of U.P. & Anr.

...Respondents

I N D E X

S.NO. PARTICULARS

PAGES

-
- | | | |
|----|---|--------|
| 1. | Reply of O.A. on behalf of respondent no. 2
alongwith affidavit. | 1-14 |
| 2. | List of Documents
Along with documents | 15- 88 |
-

Delhi

Dated:- 29/11/2022

Through



VARCHASWA SINGH

(Advocates)

D 13/73, Ganesh Nagar 2,

Shakarpur, Delhi 110092

Mob: 7017801575

**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL,
PRINCIPAL BENCH, FARIDKOT HOUSE, NEW DELHI**

O.A. NO. 704 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Mr. Zafar Abbas

...Applicant

Versus

State of U.P. & Anr.

...Respondents

**REPLY/ WRITTEN SUBMISSIONS ON BEHALF OF THE
RESPONDENT NO. 2 TO THE APPLICATION FILED BY THE
APPLICANT U/S 18(1) READ WITH SEC 14, 15 & 19 OF N.G.T.
ACT, 2010**

MOST RESPECTFULLY SHOWETH

PRELIMINARY OBJECTIONS AND SUBMISSIONS

1. That the answering respondent no. 2 is a government body incorporated under the Waqf Act and is under the governance, administration and supervision of the Waqf Sayyed Asar Hussain, registered I 2361 situated at land bearing khasra no. 15/ 1, Gram Nanglatashi, Kasampur, Meerut District, U.P., which happens to be the subject land, through its duly appointed Mutawalli namely, Mr. Zia Abbas.
2. That at the very outset, the contents of the O.A. under reply are denied, except to the extent it is a matter of record or is expressly admitted herein by the answering respondent no. 2. Any non traversal is deemed to be a categorical denial.
3. **APPLICANT IS BHU MAFIA, WANTS TO WRONGFULLY SELL THE SUBJECT LAND**

That the present original application of the applicant under reply is neither tenable nor maintainable in the eyes of the facts and law, both the present applicant is a bhumafia of grave extent and happens to be a person having catena of criminal antecedent having evil intentions and ulterior motives towards the subject land and various other such lands which the applicant have been illegally selling, creating rights and interest and making agreements to sell without any such entitlement from the competent authority and without any locus towards the subject land which makes the applicant a fraud and mala fide person and therefore, the application of the applicant under reply deserves sheer dismissal on this sole ground alone.

4. APPLICANT HAS CRIMINAL ANTECEDENTS, RESPONDENT NO. 2 IS SHEER VICTIM OF HIS SUBSTANTIAL CRIMINAL ACTS

That the application of the appellant under reply deserves to be dismissed with exemplary costs for the reasons that the applicant has no cause of action for it and has approached this Hon'ble Tribunal with unclean hands and utmost mala fide to extort the entire waqf property including the subject land and gain huge wrongful profits, which the applicant has been doing since long period of decades and is habitual to such criminal acts and activities thereby making the answering respondent no. 2 a victim of his criminal and cheating acts, after filing the present afterthought, ulterior motivated, bogus, sham and bonanza litigation against the respondents and creating sheer prejudice, falsely, and obtaining favorable orders.

5. CHEATING BY PERSONATION AND MISLEADING THIS HON'BLE TRIBUNAL

That the application of the appellant under reply deserves to be dismissed with exemplary costs on the sole legal ground that the applicant has cheated by personation and has committed a sheer social offence of fraud by misleading this Hon'ble Tribunal and appearing in its front after, deliberately and falsely, mentioning himself as the "Bhumidhar" in the subject land without any locus in it and thereby, the applicant has committed a sheer act of fraud not only upon the respondent, but also upon this Hon'ble Tribunal in the light of the landmark Judgment of Apex Court in *S.P Chengalvaraya Naidu vs Jagannath: 1994 AIR 853, 1994 SCC (1) 1* contending, "*Non disclosure of material facts and documents amounts to fraud not only upon the opposite party but also upon the Hon'ble Court*"

6. MISUSING LAW AS A WEAPON FOR THE SATISFACTION OF PERSONAL WRONGFUL PROFITS

That the application of the appellant under reply deserves to be dismissed with exemplary costs on the sole legal ground that the present application under reply is a deliberate and gross misuse of law and abuse to its due process which can be made unequivocally evident from the fact that when the applicant, despite being restrained by the competent authorities and despite concerned orders of Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad, has come before this Hon'ble Tribunal by falsely making and portraying the subject land as an

environmental concern upon which the applicant has evil eyes and is also facing legal as well as quasi legal proceedings which are pending against him and his accomplices, as specified in the below mentioned paras.

7. That the applicant has approached this Hon'ble Tribunal bypassing the catena of litigation and prosecution under heinous sections of IPC, 180 which are already pending against him pertaining to his criminal activities in the subject and has falsely portrayed it to be an environmental concern, unconstitutionally and unlawfully, and has obtained favoring orders from this Hon'ble Tribunal after creating prejudice and has made a sheer attempt to commit such illegal and unwarranted criminal acts indirectly, which he couldn't do directly, as per law.

8. That the actual, true and cogent facts and circumstances are expedient to be brought before this Hon'ble Court to for the proper and judicial adjudication of this case according to which it is submitted that the subject land happens to be a land of *Waqf al aulaad* which was maintained and administered by the respondent no. 2 through the then Mutawalli namely, Karablai Abbas S/o Late Sh. Sayeed Asgar Hussain, and after his death, by Raza Abbas S/o Lt. Sh. Karablai Abbas and ultimately, by Zia Abbas, S/o Lt. Sh. Karablai Abbas who, at present, happens to be the Bhumidhar of the subject land as per the latest Khasra and Khatauni which is annexed herewith.

The copy of the latest Khasra Khatauni records available on National Informatics Centre, U.P. State Unit, Lucknow is annexed herewith as **Annexure R 1.**

9. That it came to the knowledge of the respondent no. 2 that the erstwhile Mutawalli namely, Zafar Abbas, i.e., the appellant herein has caused sheer misuse of his powers and capacity and it was found that during the year 2003 and so on, the appellant committed sheer acts of encroachment and illegal sale of the waqf property representing himself as the absolute and independent owner of the land belonging to the answering respondent no. 2. The gravity of this sheer offences committed by the appellant herein can also be made unequivocally evident from the fact that vide Letter dated 31.12.2007, the respondent no. 2 apprised the said fact of illegal sale of huge area of 5,000 square yards by the appellant to some namely, Vinod Kumar, S/o Sh. Atar Singh, without any permission from the board, i.e., the respondent no. 2 herein, to the District Magistrate, Meerut and also received unwarranted amounts of Lacs of Rupees against the said ikramnama and in this the respondent no. 2 suffered huge damages.

The copy including the agreements and sale deeds illegally executed by the appellant, without permission of the board, is annexed herewith as **Annexure R 2.**

10. CRIMINAL ANTECEDENTS OF APPELLANT

That it is then upon the aforementioned letter of the respondent no. 2 dated 31.12.2007 and upon the order of the Apar Ziladhikari, Meerut District dated 24.03.2008 that the possession of the waqf land was given back to the then mutawalli namely, Karablai Abbas and the FIR dated 12.06.2008 and dated 19.09.2008 u/s 420/467/468/471/379 IPC and 4/10 of Forest Act was lodged against the appellant herein as well as his accomplices for their common intended acts of sheer cheating, forgery and criminal breach of trust committed by the appellant in pursuance of his evil intentions and ulterior motives only.

The copy of the aforementioned letter along with the copy of all the FIRs and Order of Apar Ziladhikar, Meerut District dated 24.03.2008 and the statements of Nirikshak dated 21.06.2008 held in this regard are annexed herewith as **Annexure R 3 (Colly.)**.

11. PERMISSION OF THE BOARD

That vide the orders/ permission of the respondent no. 2 dated 11.03.2008 and 14.03.2008, the above named Mutawalli namely, Zia Abbas was permitted and authorized u/s 51 of Waqf Act, 1995 to part land and sale land from the subject land via deed, giving the mukhtiyarnama to other person, appointing the advisor pertaining to the subject land, filing suit pertaining to the subject land and appointing the Advocate, sale the subject land vide orders dated 14.03.2008.

The copy of the orders dated 11.03.2008 and 14.03.2008 duly passed by the respondent no. 2 in favor of then Mutawalli namely, Karablai Abbas is annexed herewith as **Annexure R 4**.

12. That the appellant herein, being habitual to encroach, forge and fabricate documents and take unwarranted mesne profits out of the land of the respondent no. 2, kept on doing such sheer criminal acts against the respondent no. 2 as well as other innocent persons of the society by cheating them by impersonation and as such, another FIR dated 05.04.2013 bearing FIR No. 260/ 2013 was lodged against the appellant herein and his 5 other accomplices u/s 420 IPC and 198 ZLRA but even thereafter, the evil intentions, over acts and ulterior motives of the appellant to illegally usurp the property belonging to the respondent no. 2 and making the wrongful profits to himself and his accomplices never came to an end and as such, he kept on committing sheer criminal hurdles and acts for the satisfaction of his vendettas and ulterior motives, till date.

13. That the aforementioned permission given by the respondent no. 2 was, accordingly delegated and remain continue to be given to the subsequent Mutawallis of the subject land from time to time, including but not limited to the letter dated 02.03.2015 permitting the construction on the subject land, which can be made unequivocally evident from the catena of Orders and letters issued by the answering respondent no. 2 in the subject land including the letter of the respondent no. 2 dated 08.04.2015 addressed to the then

Mutawalli namely, Zia Abbas, permitting construction and other welfare activities in the interest of the subject land in the respondent no. 2.

The copy of the relevant orders/ document making the continuity of permission to the subsequent Mutawallis and official letter of respondent no. 2 is annexed herewith as **Annexure R 5**.

14. CLARIFYING JUDGMENT OF HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD IN QUESTION TO SUBJECT LAND AND ITS RIGHTS

That the malafide, habitual criminal nature and overt acts of criminality being committed by the appellant herein against the respondent no. 2 and the subject land can also be made, unequivocally evident from the fact that the appellant herein opted to raise vehement quarrels with the coming mutawallis from time to time and left no stone unturned to stop and bifurcate the duties of the respondent no. 2 and the mutawallis therein and misled the respondent no. 2 and set the entire constitutional machinery in motion, falsely and maliciously, and misused law as a weapon in his hands for the satisfaction of his ulterior motives which caused sheer damages to the subject land and the respondent no. 2, however, upon the kind intervention of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in the writ petition bearing Writ C. No. 26134/ 2017, titled, "*M/s Aman Entreprises and Anr. Vs State of UP and Ors*", the Hon'ble High Court passed an order dated

12.09.2019 in favor of the respondents and against the appellant herein and his deliberate discrepancies.

The copy of the Order dated 12.09.2019 passed by the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad in the writ petition bearing Writ C. No. 26134/2017, titled, "*M/s Aman Entreprises and Anr. Vs State of UP and Ors*" is annexed herewith as **Annexure R 6**.

15. That vide order of the board dated 27.02.2020, Mr. Zia Abbas was made the mutawalli in replace of then Mutawalli namely, Raza Abbas for the next 3 years and the entire continuing powers him on the subject land pertaining to its lease/ sale/ exchange/ construction and other such power were given in his hands and as such, the respondent no. 2 has absolute powers for any use of the land, including the stated land, for the welfare of the Waqf board and in its interest.

16. APPELLANT A HABITUAL OFFENDER

That it is unequivocally proven fact that the appellant herein is a habitual offender having criminal antecedents and is adamant to create hurdles and disturb the possession of the subject land and is not allowing the authorities, who are duly allowed to construct shops and chardiwaris in the subject land for carrying out the necessary expenses of the waqf and in its welfare only and is impersonating himself as the absolute and independent owner of the subject land to create third party interest in it illegally without the authority or permission from the respondent no. 2 and as such, all the mutawallis of

the subject land from time to time has been complaining of the appellant to higher authorities being a disturber and Bhumafia of the region having influential persons sitting in the pivotal places in the Government which caused sheer damages and loss of opportunities to the respondents. As such, a letter dated 13.12.2021 was also written by the previous Mutawalli of the subject land to the concerned Rajya Mantri against the appellant and upon this, the cognizance was taken into consideration by the Prashasanik Adhikari as well and to The District Magistrate, Sadar, Meerut vide complaint dated 21.03.2022.

The copy of the several complaints and representations and their cognizance dated 16.12.2021 by the Prashasanik Adhikari and other authorities along with other relevant documents/ correspondence are annexed herewith as **Annexure R 7.**

17. That vide its letter dated 22.07.2022, the present Mutawalli of the subject land, made a detailed complaint to the City Magistrate, Nagar Aayukt, Meerut and vide letter dated 27.07.2022 to the Up Ziladhikari in the terms of the aforementioned Judgment of the Hon'ble High Court of Judicature at Allahabad and previous proceedings seeking strict criminal action against the appellant herein and his accomplices for making false representations and complaints, deliberately, to disturb the waqf and usurp its property illegally by not allowing the respondent no. 2 to carry out necessary works in the subject land which is pending for adjudication before the Authorities.

The copy of the letter dated 22.07.2022 made by present Mutawalli to the City Magistrate, Meerut and other authorities is annexed herewith as **Annexure R 8.**

18. That maliciously, the appellant, without having any locus standi or bona fide, filed the present malicious and afterthought original application before this Hon'ble Tribunal and obtained prejudiced orders from it after misleading and crooking the facts and concealing the pivotal ones, thereby, committing a sheer misuse of the law as a weapon for the appellant for the satisfaction of his ulterior motives to usurp the subject property and usurp wrongful profits therefrom which is unconstitutional, malicious and bad in law and this fact, primarily, deserves sheer consideration by this Hon'ble Tribunal.

19. CRIMINAL ATTACK BY APPELLANT DURING COMPLIANCE OF ORDERS OF THIS HON'BLE COURT

That to the worst of the criminal nature, overt acts and intentions of the appellant herein, the present Mutawalli of the subject land namely, Zia Abbas, when, upon the call of authority and in compliance of the orders of this Hon'ble Tribunal, went to the subject land for its photography on 18.11.2022, the appellant, under his unwarranted agitations from legal recourses pending against him and in pursuance of his ulterior motives, raised a vehement brawl with the mutawalli and others and subsequently, the appellant and his accomplices, criminally attacked the Mutawalli and other

using sharp weapons already brought by them at the time of inspection by Lekhpal with the sole intentions to kill him whilst and left him in dying situation after inflicting vehement and serious life threatening injuries upon him at the arrival of his brother after which he was admitted in hospital in a serious situation and is still undergoing treatment of the injuries suffered by him in the said criminal attack by the appellant. This fact can be made unequivocally evident from the fact that an FIR dated 18.11.2022 bearing FIR No. 867 of 2022 u/s 324/ 352/504/308 IPC was registered against the appellant and his accomplices in Kankerkhera Police Station, Meerut which is pending for adjudication.

The copy of the FIR dated 18.11.2022 bearing FIR No. 867 of 2022 u/s 324/ 352/504/308 IPC registered against the appellant in Kankerkhera Police Station, Meerut is annexed herewith as **Annexure R 9**.

20. That in the light of the actual facts and circumstances of the case and the cogent proofs and material records present before this Hon'ble Tribunal, it is expedient and proper in the interest of justice that the present application of the appellant under reply may kindly be disposed as dismissed being malicious, unwarranted, lack of locus and lack of cause of action that can be attributed in favor of the appellant.

Prayer

In the light of the actual facts and circumstances of the case mentioned above, the respondent No.2 graciously pleases this Hon'ble Tribunal to dismiss the present malicious application under reply with exemplary cost being mala fide.

Any other order which this Hon'ble Tribunal deems fit may kindly be passed.

Date 29th 11 | 2022

Place: Delhi

RESPONDENT NO. 2

Through




VARCHASWA SINGH

(Advocates)

D 13/73, Ganesh Nagar 2,

Shakarpur, Delhi 110092

Mob: 7017801575



**BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL
PRINCIPAL BENCH, FARIDKOT HOUSE, NEW DELHI**

O.A. NO. 704 OF 2022

IN THE MATTER OF:

Mr. Zafar Abbas

...Applicant

Versus

State of U.P. & Anr.

...Respondents

AFFIDAVIT

Affidavit of Mr. Zia Abbas, aged about 41 years, S/o Lt. Sh. Kamar Abbas, R/o 59, Kot, Abdullapur, Meerut Cantt, Meerut, U.P. 250001, I, the above named deponent, do hereby solemnly affirm and state as under:

1. That the deponent is the mutawalli of the subject land of the respondent no. 2 in the above noted O.A. and well aware of the facts of the case and hence, competent and authorized to swear this affidavit.
2. That the written submissions/ reply to the O.A. of the applicant in the captioned case has been drafted by my counsel under my instructions and the contents of the same have been read over to me in my vernacular and the same are true and correct to my knowledge.

Zia Abbas
DEPONENT

VERIFICATION

Verified at MEEUT on this 28th day of November 2022 that the contents of the above affidavit are true and correct to my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Zia Abbas
DEPONENT

Rakesh Kumar Tomar
राकेश कुमार टॉमर
रखकोदीठ
रॉलिन नं०- 4520/2015, रॉ.ओ.पी. नं० 2012/250924
कलरा नं० 150, फ्लॉक हॉल, क्लॉक मिनॉरिटी
कॉमॉनलॉय, नॉरठ नॉ.0 0837777773

4
168625
M. Zafar Abbas
Rakesh Kumar Tomar
28/11/2022

List of Document Produced by

PLAINTIFF
DEFENDANT - R2

Order XIII Rule of the order of Civil Procedure form prescribed by the High Court
In the Court of NGT, FARIDKOT HOUSE, DELHI O.A. No. 704/2022
S.A. No. of 20

Zafar Abbas

Plaintiff

State of U.P. & Anr **Versus**


Defendant

List of documents produced with the plaint (or the first Hearing
on behalf of the Plaintiff or Defendant)

Date of hearing 29

This list as filed by R2 This 29th day of Nov 2022

1	2	3	4	5	6
Serial No.	Descriptions and date if any of this document	That the Document is intended to prove.	What become of the document		Remark
			brought the record the exhibit mark put on the document	If rejected date of return to Party & Signature of Party or Pleader to whom the document was return	
①	Annexure R1. Letter Copy of latest Khazra Khatauni of Subject land	17-23			
②	Annexure R2. Copy of agreement/ Sale deed including illegal ones executed by the appelland.	24-40			
③	Annexure R3 Copy of letter, FRS and Stat th of Mizikshah dated 12/6/2008	41-53			
④	Annexure R4 Orders dated 11/3/2008 & 14/03/2008	54-55			
⑤	Annexure R5 Copy of Judgement Documents	56-57			

Respondent No. 2


through Advocate

Signature of Party or Pleas date processing

Security continuation of permission

List of Document Produced by

PLAINTIFF
DEFENDANT

Order XIII Rule of the order of Civil Procedure form prescribed by the High Court
in the Court of Suit No.....of 20


Plaintiff

Versus

Defendant

List of documents produced with the plaint (or the first Hearing
on behalf of the Plaintiff or Defendant)

Date of hearing This list as filed by This day of 20

1	2	3	4	5	6
Serial No.	Descriptions and date if any of this document	That the Document is intended to prove	What become of the document		Remark
			brought the record the exhibit mark put on the document	If rejected date of return to Party & Signature of Party or Pleader to whom the document was return	
6	Annexure R-6 Copy of High Court of Judicature at Allahabad dated 12/09/2014	58-64			
7	Annexure R7 Copy of Complaint by representatives and organization by Prashant K. Adhikari dated 16/12/2021	71-82			Response filed No. 2
8	Annexure R8 Copy of letter to City Magistrate Meerut dated 22/07/22	83-85			 through Advocate
9	Annexure R9 Copy of FIR dated 18/11/22 against abtellant.	86-88			Signature of Party or Pleas date processing

A-1



खाता विवरण (अप्रमाणित प्रति)

ग्राम का नाम : नगलातासिकसम्पुर	पगला : (मेरठ)	तहसील : सदर	जम्मा : मेरठ	फसली वर्ष : 1427-1432	भाग : 1	खाता संख्या : 00430
खातेदार का नाम / पति संरक्षक का नाम / न्याय स्थान	खसरा संख्या	क्षेत्रफल (हे.)	अब्देय	टिप्पणी		
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।						
वाकफ अलाल अल्लाद कायम करदा / . / . श्री असगर हुसैन वजारीये / . / . मुनवल्ली सैय्यद जफर / . / . अब्बास बल्द मेहदी हसन / . / . मि० अब्दुल्लापुर / . / .	15/1म 15/1म	3.0350 0.2690	In the court of Board of Revenue U.P. At Allahabad. Revision No.136 of 1995-96 distt. Meerut. Copy of Board order date 27.8.96 passed in stay application in case Munne applicant/ Appellant v/s Waqf Alal Aulad op./Respondent residing village Nagla Tasi Kasampur Pargana Meerut in case u/s 229B of law U.P.Z.A.L.A. Act against the order of the additional commissioner Meerut dis.... dated 6.10.94. passed in appeal no. 90/92-93 related to ... court suit no. 10/32/93 draw by o/c 1st class Magistrate on 19.7.93. Order—Heard admit issue notice call for the record of the court..... the opposition of the indusal... order date 6.10.94 is stayed till further order the process notice by within a week. Fix 27.12.96 for final hearing. S/d			
कसबत उक्त खसरे की प्रतिभित (भाखंड (पात) के बाद प्राप्त / विकस्य / नुबवशा / न्यायकरण वाली) हेतु खसरा संख्या का प्रिलोक करे Disclaimers : इस वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी, उक्त विवरण अद्यतन है, तदनुसार कसबत केन्द्र द्वारा भी प्रकाशित/सोकारणी केन्द्र में खसरा की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है। Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.						



17

S.R.Yadav 27.8.96

न्यायालय नामक तह03 मेरठ बाद सं0 304 एवं 34 एल0आर0अधि अभिनन्दन कुमार जैन बनाम सरकार निर्णय दि0 29-9-98 ग्राम नंगला तासी कासमपुर, ग्राम नंगला तासी कासमपुर के ख0न0 15 पर निम्नलिखित अदेश पाए गए अदेश न01 न्याय वदहीन्द्रार मेरठ के अदेश

पि0न0 130 के अनुसार ग्राम समत्व खारिज होकर ख0न0 15/5-0-0 पर अभिनन्दन जैन एड कम्पनी 215 वैल्यू एडिमेण्ट ववारीये बेनामा 2000/ में दर्ज हो अदेश न02 न्याय वदहीन्द्रार मेरठ के अदेश दि0 134/27-10-78 के अनुसार ग्राम समत्व

सम्पति खारिज होकर ख0न0 15/7-0-0 पर जूति कुमार जैन पुत्र रतनलाल जैन पि0कृष्णा फ्लावर मिल्स मेरठ ववारीये बेनामा 4000/ दर्ज हो अदेश न0 3- न्यायालय अस्स कलक्टर कित्त मेरठ बाद सं 012 अनर्गत पाए 115P जैद0ए0एल0आर0 एन्टर अभिनन्दन दास जैन व मैसर्स पी0के0जैन

मेरठ निर्णय दि0 14-4-82, 25-6-82 प्रदत्ता दि0 7-7-86 अदेश हुआ कि ख0न0 15प रकना 12-0-0 से अपेक्षित अंशदियों के नाम काटकर ग्राम समत्व सम्पति नंगला तासी दर्ज हो अदेश न0 4- माननीय न्यायालय उच्च न्यायालय इलाहाबाद सिविल अपील न0 18018/1995

अभिपन्नु दास जैन (न्यू डीड) वरु कुमार जैन पुत्र ख0अभिपन्नु दास जैन और अन्य बनाम बोर्ड आफ रेवेन्यू ए0एल0इलाहाबाद और अन्य में दि014-2-96 को अदेश हुआ कि अवर न्यायालय के अदेश दि0 6-3-95, 29-4-83, 25-6-82 को स्थगित किया जाता है एल0 5-11-98

1416फ न्यायालय वदहीन्द्रार मेरठ बाद सं0 274 अनर्गत पाए 34 एल0आर0 एन्टर ग्राम नंगलातासी कासमपुर परगना वदहीन्द्रार व जिला मेरठ

सर्वेक्षण एवं नतीजे की प्रस्तुति (ग्राउंड वास्तु) के बाद ग्रस्त/विक्रय/भू-व्यवस्था/नामांकन नहीं) हेतु खसरा सट्टा पर क्लिक करी
01/01/2021 को एक अंशदिये पाए अवरलोक दर्ज हैं, उक्त विवरण आश्रित हैं, तहसील का ग्युटार केन्द्र एवम सी.एस.डी/लेकअप/निम्न में उल्लेख की प्रभाजित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



Annexure - R.I.

18

सैय्यद करबलाई अन्वास बनाम बकफ अल्ल अल्लाद आदि उपरोक्तवाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 31-10-08 को निम्न आदेश पारित किया गया है—वादी सैय्यद

करबलाई अन्वास पुत्र स्व० सैय्यद अस्गर हुसैन नि० ग्राम अन्दुल्लापुर परगना तहसील व जिला मेरठ, हस्त नि० 200 जैदी नगर मेरठ बहिषियत मुतवल्ली की ओर से प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है तथा आदेश दिया जाता है कि भूमि खतता सं० 390 ख० न० 15/1 मि/3.050 हे० व ख० न० 15/1 मि/0.2690 हे०

हे० कुल रकबा 3.3040 हे० स्थित ग्राम नालावासी कासमपुर परगना तहसील व जिला मेरठ से बकफ अल्ल अल्लाद कासमपुरदा अस्गर हुसैन वंजरीये मुतवल्ली सैय्यद जफर अन्वास पुत्र मो० मेहदी हसन नि० ग्राम अन्दुल्लापुर परगना तहसील व जिला मेरठ का नाम निरस्त कर उसके स्थान पर सैय्यद करबलाई

अन्वास पुत्र स्व० सैय्यद अस्गर हुसैन नि० ग्राम अन्दुल्लापुर परगना तहसील व जिला मेरठ हस्त नि० 200 जैदी नगर मेरठ बहिषियत मुतवल्ली का नाम वतौर संक्र० भूमि० दर्ज हो ह० (अमल कुमार मिश्र) तहसीलदार मेरठ ह० न० का० 6-11-08

1418 फ न्यायालय तहसीलदार मेरठ बाद सं० 156 अर्जगत पारा 34 एल० अर० एक्ट ग्राम नालावासी कासमपुर पर० तह० व जिला मेरठ। सैय्यद मौहम्मद अख्तर अन्वास बनाम बकफ अल्ल अल्लाद कासम करदा मुतवल्ली सैय्यद करबलाई अन्वास उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दि० 30-12-10 को निम्न आदेश

पारित कि ये गये है—वादी द्वारा प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रथमतः भूमि खतता सं० 390 ख० न० 15/1 मि/3.0350 हे० व 15/1 मि/ 0.2690 हे० स्थित ग्राम नालावासी कासमपुर पर० तह० व जिला मेरठ से मूतक सैय्यद करबलाई अन्वास पुत्र स्व० सैय्यद अस्गर हुसैन नि० 200 जैदी नगर मेरठ

इसका उपयोग केवल प्रशिक्षण (भूखंड (गाटा) के वाद प्रस्त/विक्रय/धनवन्ना/नामांतरण वही) हेतु खतरा संख्या पर क्लिक करें।
 इसका उपयोग केवल प्रशिक्षण (भूखंड (गाटा) के वाद प्रस्त/विक्रय/धनवन्ना/नामांतरण वही) हेतु खतरा संख्या पर क्लिक करें।
 Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



का नाम निस्त करके, उसके स्थान पर सैय्यद मौहम्मद अख्तर अन्बास पुत्र स्वO सैय्यद करबलाई अन्बास निO 200 जैदी नगर मेरठ का नाम बतौर मुकदल्ली वक्फ अल्ल ओलाद कायम कराया जाय हो।
 हOअOके(तहसीलदार)तहसीलदार मेरठ 31-12-10/06-1-11
 हOअOके D 07-1-11

1419फ न्यायालय तहसीलदार मेरठ बाद संO 156 अर्थात् पार् 34 एलOअOएकट ग्राम नंगलातारी कासमपुर पारOतहO व जिला मेरठ। सैय्यद मौहम्मद अख्तर अन्बास बनाम वक्फ अल्ल ओलाद कायम कराया मुकदल्ली सैय्यद करबलाई अन्बास उपरोक्त बाद ये इस न्यायालय द्वाO दिO 30-3-12 को निम्न आदेश

पारित किये गये है- प्रथी वक्फ अल्ल ओलाद कायम कराया असगर हुसैन बचरिये मुकदल्ली हथैन यूसुफ पुत्र तहबीकुल निOग्राम अन्हुलापुर पारOतहO व जिला जिला मेरठ की ओर से प्रस्तुत समस्त सामिक प्रार्थना पत्र व प्रार्थना पत्र पार-5 परिसीमा अधिनियम दिO 05-11-11 को स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा

पूर्व पारित आदेश दिO 30-12-10 को निस्त किया जाता है तथा प्रस्ताव प्लि-डनO 15/1मि/3.035080 व 15/1मि/0.269080 स्थित ग्राम नंगलातारी कासमपुर पारOतहO व जिला मेरठ से मुकद सैय्यद करबलाई अन्बास पुत्र स्वO सैय्यद असगर हुसैन व सैय्यद मौहम्मद अख्तर अन्बास पुत्र स्वO सैय्यद करबलाई

अन्बास निOग्राम 200 जैदी नगर मेरठ के नाम निस्तकरके उनके स्थान पर वक्फ अल्ल ओलाद कायम कराया असगर हुसैन बचरिये मुकदल्ली हथैन यूसुफ पुत्र तहबीकुल निOग्राम अन्हुलापुर पारOतहO व जिला मेरठ का नाम द्ब हो। हO (कन्हई सिंह) तहसीलदार मेरठ 31-3-12

हOअOकेO 03-4-12

इसका उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद प्रस्ता /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बड़ी) हेतु खसरा संख्या पर विलिख करें
 डिजिटल नक्शा, एक अधिकारी मात्र अस्तित्वनायक है, उक्त विवरण अप्रामाण्य है, तहसीलदार केन्द्र स्वम सी.ए.सी/लोकनाथी केन्द्र से सुधार की प्रस्तावित प्रति प्रेष की जा सकती है।
 Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



1422क्र० न्यायालय उप जिलाधिकारी, मेरठ। वाद संख्या 80/2015 धारा 33/39 भू-राजस्व अधिनियम दृष्यद गुलाम सय्यादेन रिजवी बनाम सरकार ग्राम नंगलातासी कासमपुर परगना तहसील व जिला मेरठ। पत्रांक 488/आर0ए0/परवाना अमलदराम्ब/ 2015 दिनांक 02-03-2015 - परवाना अमलदराम्ब-

उपरोक्त वाद में इस न्यायालय के अदेश दिनांक 21-02-2015 के अन्तर्गत निम्न आदेश पारित किये गये है :- ग्राम नंगलातासी कासमपुर परगना तहसील व जिला मेरठ स्थित भूमि खसरा संख्या 00407 के खसरा संख्या 15/1म स्कन्हा 3.0350हे० से वक्फ अमल औलाद कायम करदा असागर हुसैन बजरीये

मुतवल्ली हुसैन यूसुफ पुत्र तहबीबुल निवासी अब्दुल्लापुर परगना तहसील व जिला मेरठ का नाम निरस्त कर, उसके स्थान पर वक्फ अमल औलाद कायम करदा असागर हुसैन बजरीये मुतवल्ली जिया अब्बास पुत्र कम्मर अब्बास निवासी 59 कोर्ट अब्दुल्लापुर तहसील व जिला मेरठ का नाम

संक्रमणीय भूमिपर दर्ज कर खतोमी को दुस्त किया जाता है। ह०अ० (रबीश गुजा) ज्वाइंट मजिस्ट्रेट /उप जिलाधिकारी, मेरठ। ह०.र०का० 03-03-15

1425क्र० न्यायालय तहसीलदार मेरठ। वाद सं- 21 201711522011467 अं धारा 34/35 उ० श० सं- 2006 अमन ए०प्रा० द्वारा अब्दुल जाहिद अदि बनाम वक्फ सै० असागर हुसैन अदि ग्राम- नंगलातासी कासमपुर परगना व तहसील व जिला मेरठ। पत्रांक 263/एफ०जे०/तह० मेरठ- 2018 दिनांक 24-04-2018 उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 23-04-2018 को निम्न आदेश पारित किये गये- वादी की ओर से पंजीकृत विक्रयपत्र के अन्वय पर प्रस्तुत नामान्तरण प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाता है तथा भूमि खसरा संख्या 15/1मि० क्षेत्रफल 3.0350 है० में से 0.4000 है० भूमि स्थित ग्राम नंगलातासी कासमपुर तहसील व जिला मेरठ से वक्फ सै० असागर हुसैन रिजवान संख्या 2361 व 2310 बहैसियत मुतवल्ली जिया अब्बास पुत्र कम्मर अब्बास निवासी

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त/विक्रय/भू-नक्शा/नामांतरण बही) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें
 Disclaimer: उक्त आंकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अप्तन हैं, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एचप सी.एस.सी./लोकवार्मी केन्द्र से उद्वरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
 Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



21

मन्- 59, कोर्ट अहमदपुर तहसील व जिला मेरठ का नाम निरस्त करके उसके स्थान पर वादीगण अमन इण्टर्राईजेज 96, जस्स मौहल्ला, कंकरखेडा, मेरठ द्वारा पार्टनर्स अहमद वाहिद पुत्र अहमद सलाम निवासी जस्स मौहल्ला, कंकरखेडा, मेरठ व मौ. मौकिन कुरैशी पुत्र युसुफ कुरैशी निवासी 150, पटेलपुरी, कंकरखेडा, मेरठ के नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 15-04-2017 के अधार बतौर संक्रमणीय भूमिपत्र दर्ज हो। (संतोष कुमार) तहसीलदार, मेरठ /C-24-4-18

1425 न्यायालय तहसीलदार, मेरठ। मुम्बर साबिक प्रार्थनापत्र सं 2018 उम्- राज्य द्वारा कलाकर इनाम अमन ए-ग्रा- द्वारा पार्टनर अहमद वाहिद अदि 2- मौकिन कुरैशी पुत्र युसुफ कुरैशी 3- वक्फ है- असागर हुसैन रजि- सं- 2361 व 2310 बहैसियत मुतकल्ली जिया-अम्बास 4- शहजाद अम्बास नकवी पुत्र करबलाई अम्बास ग्राम नंगलावाशी कासमपुर। मूल वाद सं- टी- 2017/11522011467 अ- पाठ- 34/35 उ-म- रा- संहिता अमन ए-ग्रा- द्वारा अहमद वाहिद इनाम वक्फ है- असागर हुसैन अदि ग्राम- नंगलावाशी कासमपुर तहसील व जिला मेरठ। पत्रांक 272/एम-जे/तह- मेरठ- 2018 दिनांक 04-05-2018 उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 04-05-2018 को निम्न आदेश पारित किये गये- अंग जिला शासकीय अधिकता (एचएच), मेरठ द्वारा प्रस्तुत नक्का साबिक प्रार्थनापत्र दिनांक 04-05-2018 न्यायहित में स्वीकार किया जाता है तथा न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 23-04-2018, जिसके द्वारा भूमि खसरा संख्या 15/1 मि. क्षेत्रफल 3.0350 है, में से 0.4000 है, भूमि स्थित ग्राम नंगलावाशी कासमपुर तहसील व जिला मेरठ में वक्फ है- असागर हुसैन रजिस्ट्रेशन संख्या 2361 व 2310 बहैसियत मुतकल्ली जिया-अम्बास पुत्र कम्मर अम्बास निवासी मन्- 59, कोर्ट अहमदपुर तहसील व जिला मेरठ का नाम निरस्त करके उसके स्थान पर वादीगण अमन इण्टर्राईजेज 96, जस्स मौहल्ला, कंकरखेडा, मेरठ द्वारा पार्टनर्स अहमद वाहिद पुत्र अहमद सलाम निवासी जस्स मौहल्ला, कंकरखेडा, मेरठ व मौ. मौकिन कुरैशी पुत्र युसुफ कुरैशी निवासी 150, पटेलपुरी, कंकरखेडा, मेरठ के नाम पंजीकृत विक्रयपत्र दिनांक 15-04-2017 के अधार पर बतौर संक्रमणीय भूमिपत्र दर्ज किया गया था, निरस्त करते हुए वाद पुनर्स्थापित किया जाता है। (संतोष कुमार) तहसीलदार, मेरठ /C-05-5-18

सूचना उक्त खतमें की प्रस्थिति (मुखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त विक्रय/भू-नक्शा/नामांतरण नहीं) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें
 उपरोक्तमें एक अंकड मात्र अबलोचनार्थ है, उक्त विवरण अपलन है, तहसीलन कम्प्यूटर केन्द्र एबम सी.एस.सी/सोफ्टवेयर केन्द्र में उदरुण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।
 Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



29

1426फ न्यायालय तहसीलदार मेठ। वाद सं-टी 201711522011467 अं घरा 34/35 अं नं सं- 2006 अमन ए-ग्रां द्वारा अन्दुल वाहिद अदि बनाम सक्फ है-असात हुतेन अदि ग्राम नंगला तारी कासमपुर परगना व तहसील व जिला मेठ। पनाक 339/ एम-जे/तह-मेठ-2018 परवाना अमल दामद उपरिक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा दिनांक 07-07-2018 को निम्न आदेश पारित किये गये है - पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 15-04-2017 के अन्वय पर भूमि खसरा सं- 15/1 मिं क्षेत्र 3.0350 है। से से 0.4000 है। स्थित ग्राम नंगला तारी कासमपुर तहसील व जिला मेठ पर पूर्व पारित नमानांतरण आदेश 23-04-2018 विधिक रूप में नियमासुसार है। जिसकी पूर्ती की जाती है। ह-अ/(संतोष कुमार) तहसीलदार,मेठ। परवाना अमलदामद /493-RK/C-9-7-18

1426फ न्यायालय तहसीलदार मेठ। वाद सं-टी 201711522011467 अं घरा 34/35 अं नं सं- 2006 अमन ए-ग्रां द्वारा अन्दुल वाहिद अदि बनाम सक्फ है-असात हुतेन अदि ग्राम नंगला तारी कासमपुर परगना व तहसील व जिला मेठ। पनाक 376/ एम-जे/तह-मेठ-2018 दिनांक 24-08-2018 विवरण विवरित भूमि खसरा संख्या 15/1म क्षेत्रफल 3.0350 है। स्थित ग्राम नंगला तारी कासमपुर तहसील व जिला मेठ। उक्त वाद में इस न्यायालय के आदेश दिनांक 21-08-2018 के द्वारा प्रार्थी पुत्रवल्ली सहजद अन्वास की ओर से प्रस्तुत नम्बर साबिक प्रार्थनापत्र दिनांक 28-07-2018 स्वीकार करते हुए, इस न्यायालय द्वारा पूर्व पारित आदेश दिनांक 23-04-2018 व 07-07-2018, निस्त करते हुए, पूर्व की स्थिति बहाल गयी है। ह- (संतोष कुमार) तहसीलदार, मेठ/C- 04-9-18

योग


2

3.3040


हस्ताक्षर उभरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के बाद प्राप्त /विक्रय /भू-नक्शा /नमानांतरण वही) हेतु खसरा संख्या पर निलम्ब करें

Disclaimer: उक्त आंकड़े मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अप्रकृत है, तहसील कांप्यूटर केंद्र एम.पी.ए.सी./लोकवाणी केंद्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।


Software Powered By: National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.



23




15118



प्रकारनामा भाईदा वध
=====

प्रमाण वरील घटनामा दिवा जायेगा।

हामीक वीचद अपरे अडवाण पुत्र मोहम्मद मोहदी मरूम, निवासी गा.म.
अहमदाबाद वरु १४० म विधा मेरु, म यीमान निवासी रत-६
परगाह मोस्मन, धा० से० वरु काकोना, नई देहली---वरील अपव
ध श्री विनोद कुमार पुत्र स्व० श्री अरु १४६ निवासी जगदीशपुर
अरका रोड, कंठकेश मेरु-----वरील दोयम।





15119



128

जो कि 5000 पाँच हजार चर्गीज आराजी मध्ये खसरा नंबर
 15/1 रिफा मीजा नंगला ताशी का मपूर परगना तहसील मीजा
 भेरठ भिलायत मकळ्या तहा परतीक अचल हे आराजी मजकूर परतीक
 अचल के कुल एक व दिहले की आराजी मे से धी परतीक अचल को
 जानिब से आराजी मजकूर हस चवत तव्या के ताप हे परतीक अचल को
 आराजी मजकूर की परीकतगी का धीहदा परतीक दोयम मे अचल
 4,00,000/-चार लाख रुपये मे तय कर लिवा हे, और थीमत तयकुरा
 मे से अचल 2,00,000/-दो लाख रुपये नगद खातिर बघाना परतीक
 अचल ने परतीक दोयम से रुबरु उप निबंध्य भेरठ मसुला पा लिये हे।
 लिखाया परतीकेन बहायत जैल के पाबन्द होसे हे:-


- 1:- यकीन पिल चवत भी परतीक दोयम प्रा देगा, बाकी रकम
 परतीक अचल को अदा करके आराजी मजकूर का बचनामा बहक
 परतीक दोयम या नामजदाये परतीक दोयम रुबरीर समील परीकतगी-

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



15120



838



करा लेगा। कबजा पतई खाली आराजी मजकूर का परीक अटवल बरनेज बयनामा परीक दोयम को सुपुर्द करने का पाबन्द रहेगा। परीक दोयम बयनामा कराने से पहले 15 दिन का नोटित परीक अटवल को देगा।

2:- यहिक कुमला इराजात स्टाम्प व रजिस्ट्री बयनामा सब बजिम्मे परीक दोयम रहेगा।

3:- यहिक अगर इस भांडे को शरायत के मुताबिक परीक अटवल की जानिब से बयनामा आराजी मजकूर का बहक परीक दोयम या नामकपाये परीक दोयम तहरीर तकमील व रजिस्ट्री करने मे कोई ज़ु या रेतराज करेगा, तो परीक दोयम को बहरिये अदालत म्नाज राकमील भांडेका बय मश खर्चा व ठसः हरिकस्म करा लेने का पूरा हक हरील रहेगा।

N. S. Kumar







१९४

यही क मुमला धारायत की प बन्दी लजिमान प जल्दी रहेगी
परीकेन य वारिमान पा बन्द रहेगे। लिखाजा यह इकरा रना मा

Handwritten signature





13 OCT 2003

१५१

भाविशा बय तहरीर कर दिया कि सनदरह, अरि-वक्त जहरत का म आयु, पस्त ।।

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]
दीपक चन्द/सि-
-रिज सिद्धांत
अ. दी. उ. अ

तिथि:- 21-10-2003 ई० श्रीवदा जी श्रीमान गुमारतभा "सडवाकेट"
मेरो व टगु शजीव रेहन मेरु ।।

[Signature]

50 Rs




मुख्यतः श्रीम. आम. रिजोर्वायल

जिन कि समय जकर अव्यास पुत्र भैरवी वरुन निवासी आम अखुवापुर परगना व तहसील जिला मेरठ वहीसयत भुतवन्दी आमार हुतीन यम् उत आकार कायमकत गीतरीन का ह-

श्रीमि: 3890 तीन हजार चर्भान गम्मे खरता गन्धर। ताम स्थित ग्राम नंगलाताशी कासगपुर परगना व तहसील व जिला मेरठ के व्यक्तितगत स्वामी एवं विक्रयधर्मिकता मे प्रतिज्ञाकरे सम्पत्तिका कि निरसके इतनाम व इतकाल व मुकामात से सम्बन्धी जुमला कार्यावही सरअन्जाम देने के लिये ताले में बटी संशयत व परिशाना पाठ्यता होती है, तथा बार-बार जाने जानी व जागिर मीन मे मुमं यही दिखता व परिशाना पाठ्यता होती है, लिखना अभिनत आम के इतनाम व इतकाल व मुकामात मे सम्बन्धी जुमला कार्यावही सरअन्जाम देने के लिये अपने मौतियर प्राप्त श्री अठव्यादः पान पुत्र श्री अखुव खां निवासी ग्राम जाटोली परगना व तहसील व जिला मेरठ को गुजता आम अपना मुकदर करता है और अव्यास देता है और लिना देता है, कि गुजता आम गुजता मरोवता गुमि को इतनाम हर मितम करे, योई परख्यताम योई दामन काली मे, देता है, गुज्यांयत रामदा नर्ये तनाम अपने दरतावती से गुने करे, इसमे मेम ओम से अपना स्वार्थी अधिकत मुमि रो मितरी नी दरतावेन मसलम केपाम जादि मे तस इतनाम को





₹ 100

RS 100

ONE HUNDRED RUPEES



प्रतिज्ञापत्र विक्रय ॥

हमकि सेयद जफर अब्बास पुत्र मो नदी हसन निवासी ग्राम अजुलापुर परगना व तहसील व जिला मेरठ यहाँसयत भुतवत्सी एसगर हुसैन बकफ उला औलाद कायमकर अलमगर हुसैन प्रथम पक्ष ॥

एव

श्री संत कुमार पुत्र श्री जितेन्द्र गिठ निवासी ग्राम दातल परगना व तहसील व जिला मेरठ व श्री विनोद कुमार पुत्र श्री अतर सिंह निवासी जगदीश पुरम सरखना रोड मेरठ व श्री श्यामवीर पुत्र श्री धर्मवीर सिंह निवासी श्रद्धापुत्री ककरकोटा मेरठ द्वितीय पक्ष ॥



जोकि लगभग 12600 वारह हजार छः सौ वर्ग गज भूमि गिगजुगला खसरा नम्बर 1511 स्थित ग्राम नंगलाताशी कासमपुर, परगना व तहसील व जिला मेरठ के व्यक्तिगत स्वामी एवं विक्रयधिकारी प्रथम पक्ष उपरोक्त है। उपरोक्त भूमि आज की तिथि तक प्रत्येक प्रकार के ऋण तथा भार आदि से मुक्ता तथा रक्षित है तथा प्रथम पक्ष को पूर्ण स्वामी होने की स्थिति से उपरोक्त भूमि को विक्रय आदि द्वारा हस्तांतरित करने के समस्त अधिकार प्राप्त है, कोई वैधानिक कर्तव्य या धर्म प्रथम पक्ष के विक्रयधिकारी से बाधक नहीं है। और कागजात प्राप्त में लगाया नाम पूर्ण स्वामी के रूप में अंकित है। प्रथम पक्ष ने उपरोक्त भूमि को विक्रय करने का संज्ञा द्वितीय पक्ष से अंकन 4,15/- चार सौ पचास रुपये प्रति वर्ग गज में रख कर लिया है और विक्रय मूल्य अंकन 50,07,000/- छप्पन लाख सात हजार रुपये के मध्ये अंकन 10,00,000/- इसी प्रकार अग्रिमगन के रूप में प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष प्राप्त कर लिये है। अतः उभयपक्ष एवं उनके उत्तराधिकारीगण निम्न लिखित नियमों के अधिन में रहेंगे:-

Handwritten signatures and fingerprints of the parties involved in the deed.



:: 2 ::

1. यहकि विक्रयपत्र कराने की अवधि, उभयपक्षों के मध्ये आज की तिथि से छः माह तक पाई है, शेष धनराशि बराबर बराबर तीन किस्तों में द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को अदा करेगा तथा अन्दर मियाद वकफ बोर्ड की परामर्शन लेकर द्वितीय पक्ष को इच्छानुसार देगा यदि अन्दर मियाद वकफ बोर्ड की परामर्शन नहीं मिलती है तो जिस समय भी परामर्शन मिल जायेगा तो उसकी इत्तला से दो माह का समय प्रथम पक्ष द्वितीय पक्ष को और देने के पबन्द व जिम्मेदार होगा। उपरोक्त भूमि का विक्रयपत्र या अनेक विक्रयपत्र प्रथम पक्ष से अपने या अपने मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में पंजीकृत करा लेंगे जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।
2. यहकि कतई खाली भूमि का प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष को दे दिया है। द्वितीय पक्ष उसको अपनी इच्छानुसार इस्तेमाल करने प्लानिंग करने डवलपमेन्ट करने, मीके पर नक्शा बनाने के अधिकारी रहेंगे।
3. यहकि अन्दर मियाद प्रथम पक्ष वकफ बोर्ड से एन ओ सी उपरोक्त भूमि को लेगे और उसकी सूचना द्वितीय पक्ष को दे देगे। वकफ बोर्ड की एन ओ सी में जो भी खर्चा होगा उपरोक्त सम्पत्ति की बाबत उसको प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष दोनों बराबर बराबर के अनुपात से अदा करेगे, लेकिन परमर्शन प्राप्त करने को समस्त जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की रहेगी।
4. यहकि कय स्टाम्प व फीस रजिस्ट्री यानि विक्रयपत्र से सम्बन्धित समस्त खर्चा द्वितीय पक्ष वहन करेगे।
5. यहकि अन्तिम भुगतान करते समय मीके पर पैसाईश करा ली जायेगी और उसी के अनुसार द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को शेष धनराशि अदा कर देगे।
6. यहकि अन्दर मियाद प्रथम पक्ष उपरोक्त भूमि से सम्बन्धित सभी वादों में सप्लीतो दावाएल करा देने और वादों का निरतारण न्यायालयों से अपने पक्ष में कराने की जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की होगी।
7. यहकि यदि उपरोक्त अवधि के भीतर-भीतर प्रथम पक्ष शेष धनराशि मिलने पर भी द्वितीय पक्ष को इच्छानुसार उपरोक्त भूमि का विक्रयपत्र द्वितीय पक्ष या उसके मनोनीत व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में लिखकर पंजीकृत करने में कोई आपत्ति, इंकार या मना करेगे तो ऐसी प्रत्येक दशा में द्वितीय पक्ष को अधिकार प्राप्त होगा कि यह उपरोक्त भूमि का विक्रयपत्र प्रथम पक्ष से न्यायालय की व्यवस्था के द्वारा करावे जिसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नहीं होगी।




Skinner


Mub...

- 8:- यहकि यदि उपरोक्त अवधि के भीतर-भीतर द्वितीय पक्ष प्रथम पक्ष को विक्रयपत्र को अग्रिमपत्र बनाने में असमर्थ रहेगे तो प्रथम पक्ष को अधिकार प्राप्त होगा कि वह उपरोक्त अवधि के पश्चात वाद देने पंजीकृत नोटिस अवधि नोटिस को भी विक्रयपत्र को अग्रिमपत्र बनाने का इस प्रतिज्ञापत्र की शर्तों से मुक्त हो जायेगे।
- 9:- यहकि उपरोक्त समस्त नियमों की प्रावन्दी उभयपक्ष एवं उनके उत्तराधिकारियों पर पूर्ण रूप से लागू रहेंगी। अतः यह प्रतिज्ञापत्र विक्रय लिख दिया कि प्रमाणित तथा उपयोगी हो, जो उचित समय पर काम आवे क्षति।।

विवरण प्राप्ति अग्रिमपत्र

- 1- अंकन 1,00,000/- एक लाख रुपये द्वारा एक किता पे-आर्डर संख्या 905505 मोसुमा पी०एन०वी० कंकरखेडा मेरठ दिनांक 18-06-2003 प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से वसूल पाये।
- 2- अंकन 1,00,000/- एक लाख रुपये द्वारा एक किता पे-आर्डर संख्या 722273 मोसुमा पी०एन०वी० कंकरखेडा मेरठ दिनांक 17-06-2003 प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से वसूल पाये।
- 3- अंकन 3,00,000/- तीन लाख रुपये नगद प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से वसूल पाये।।
- 4- अंकन 2,00,000/- दो लाख रुपये द्वारा एक किता चेक संख्या 473146 मोसुमा विभा सहकारी बैंक लि. मेरठ दिनांक 05-07-2003 प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से वसूल पाये।
- 5- अंकन 3,00,000/- तीन लाख रुपये द्वारा एक किता चेक संख्या 350980 मोसुमा पी०एन०वी० कंकरखेडा मेरठ दिनांक 05-07-2003 प्रथम पक्ष ने द्वितीय पक्ष से वसूल पाये। कुल अग्रिमपत्र मूल्य अंकन 10,00,000/- दस लाख रुपये।।








 श्री _____

तिथित दिनांक:- 20-06-2003 ई.।।


Identified by: 
WITNESSED

 NOTARY 20/06/03

ब: लोस रूपमें बकिये रसीद होना नकद हो नुस्खेवाकफान कनैशुमट वरिड
 पत्रिक अक्तर के प्रार विहा हो समे अमलमम के कनैशुमट वरिड कनैशुमट
 २६,००,००० रूपमें लोस रूपमें मासिक अक्तर के कनैशुमट वरिड कनैशुमट
 पा लि है, कनैशुमट वरिड कनैशुमट वरिड कनैशुमट वरिड कनैशुमट वरिड
 २०-६-२००३ ई० की मरगाती कनैशुमट वरिड कनैशुमट वरिड कनैशुमट वरिड
 कागम रहेगी और यह रसीद पाट वरिड कनैशुमट वरिड कनैशुमट वरिड
 पाट वेमेट दिनांक २१-१०-२००३ ई० का पाट वरिड कनैशुमट वरिड कनैशुमट
 यह रसीद पाट वेमेट तहरीर कर दी और कनैशुमट वरिड कनैशुमट वरिड

NOTARY

हो




ता रीस :- २५-११-२००३ ई० ॥

Identified by shd. *Vipin Kumar Sharma*
ATTESTED
[Signature]
NOTARY 25/11/03

10/- 25-11-03

1 श्री सैयद जमाल अब्बास अली महेदी एम.ए.
श्री अब्दुलकरीम म.द. जि. 10/11-03

श्रीमान् सि.ए.
नोकर रोड
रामपुर विहार
जिला मुजफ्फरपुर
20/11/2003

श्रीमान्

ब: हास रूपसे बचिये रसीद हाबा नकद बरकर गवाहान क्तीरपार्ट पेमेंट -
 फरीक अखत ने फरीक दोगमसे बलुंवाये हैं, इप तरह अब तक मुकलि
 २६,००,००० एखीस हास रूपसे फरीक अखत ने फरीक दोगम से बलुल
 पा लिजे हैं, बकिया सुसला अरायत सुंदरके चकरारनावा महायदा क्य ता०
 २०-६-२००३ ई० की प्राकमी क्स्तर फरीकने व पारिखान पर आयदव
 शायन रही। और यह रसीद पार्ट क्तीर अकरारनामे महायदा क्य व रसीद
 पार्ट पेमेंट दिनांक २९-१०-२००३ ई० का पार्ट स्पष्ट पारिल रहणी। लिहाबा
 यह रसीद पार्ट पेमेंट तहरिर कर दी और सनद हो और काम आवे। फस्त।।

NOTARY

हो -----




ता रीत :- २५-११-२००३ ई० ॥

W. K. Kumar Verma
 Attested by
ATTESTED
W. K. Kumar Verma
NOTARY 25/11/03

प्रसंग 09/2008 अ.क. - अ.क. / 2361/2008-09


धानाध्यक्ष,
कंकर खोडा, मेरठ

दिनांक: 12-6-2008

प्रशासनिक अधिकारी, पिया गैन्डल वक्फ बोर्ड, उ०प्र० लखनऊ के पत्रांक 747दि:31-12-07 द्वारा अवगत कराया गया है कि वक्फ सै० अतगर हुसैन रजि० नं० टी०-2361 की सम्पत्ति भूमि खासरा नं० 15/1 कुल क्षेत्रफल-3,304 फीट मीजा नगला ताशगी काशिमपुर मुल्तफाबाद तह० व जिला मेरठ में से 5000 गज भूमि को बिना वक्फ बोर्ड की अनुमति प्राप्त किये पूर्व मुतवल्ली श्री सै० जम्र अब्बास द्वारा श्री विनोद कुमार पुत्र स्व० श्री अतर सिंह निवासी जगदीशपुर उत्तरधाना रोड, मेरठ के नाम चार लाख 80 में एक इकरारनामा कर दिया गया है, जो गलत एवं अवैध है। पिया वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा पूर्व मुतवल्ली श्री जम्र अब्बास पुत्र स्व० मी० मेहदी के विस्तृत रफ्त० आई० आर० दर्ज कराने एवं वक्फ सम्पत्ति पर मुतवल्ली श्री सै० करबलाई अब्बास को कब्जा दिलाये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

अतः उपरोक्त प्रकरण में वक्फ सै० अतगर हुसैन रजि० नं० टी०-2361 स्थित मीजा नगला ताशगी काशिमपुर मुल्तफाबाद जन्मद मेरठ के पूर्व मुतवल्ली श्री जम्र अब्बास पुत्र स्व० श्री मी० मेहदी नि० ग्राम अब्दुल्लापुर तह० व जिला मेरठ जल नि० सफदरगज हन्दिरा सेपर पोर्ट सिक्कट पिया मस्जिद गाहे मरदा गली गंज डी० के० दत्त कार्गानी, नई दिल्ली के ठिकाना रफ्त० आई० आर० दर्ज कर सान्गी कार्यवाही करने का कष्ट करे।

S.O
21/6/08
दि. 21/6/08
रि. 11/6
A.P. M. S.


12-6-08
श्री वक्फ निरीक्षक,
मेरठ।
(श. ए. ज. अ. क.)
पुत्र श्री अतगर हुसैन
नि० 72 क. ए. ल. उ. अ.
मुल्तफाबाद तह०
एतः - विनोद कुमार
काशिमपुर मेरठ
Tel. No. 9897529365
आउ - 55 अ. अ.

42

All communications to this office should indicate the number, date & subject of previous correspondence of any and should note the department quoted.

From : Administrative Officer

Shia Central Board of Waqfs U.P.

Uttar Pradesh 817-Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow

To : जिलाधिकारी / अपर वक्फ आयुक्त
जनपद-मेरठ

Ref. No. 71/2

Dated : 31.12.67

Subject :

वक्फ सं० असगर हुसैन (टी-2361) स्थित मौजा नगला ताशी कासिमपुर मुस्तफाबाद
जनपद मेरठ की सम्पत्ति पर कब्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में मुझे कहना का निर्देश हुआ है कि प्रसंगत वक्फ बोर्ड के अभिलेख में नं. टी-2361 पर पंजीकृत वक्फ है जिसकी सुरक्षा बोर्ड से नियुक्त मुतवल्ली श्री सं० करवलाई अव्यास पुत्र स्व० सं० असगर हुसैन साकिन जैदी नगर, मेरठ द्वारा की जा रही है। बोर्ड के संज्ञान में यह लाया गया है कि पूर्व मुतवल्ली श्री सं० जफर अव्यास द्वारा मौजा नगला ताशी कासिमपुर मुस्तफाबाद की आराजी खसरा नं. 15/1 जो लगभग 6000 गज है, को दिना बोर्ड की अनुमति प्राप्त किये श्री विनोद कुमार पुत्र स्व० श्री अतर सिंह निवासी जगदीशपुर, सरधना रोड मेरठ के नाम चार लाख २०० में एक इकरारनाम किया (प्रतिलिपि संलग्न) तथा बाकी आराजी भू-गाफिया व दीगर लोगों को कब्जा करा दिया गया है जिसके कारण वक्फ सम्पत्ति को बर्बादी शक्ति पहुंचाई गई है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त के संबंध में पूर्व मुतवल्ली श्री जफर अव्यास पुत्र स्व० मो० मेहदी के विरुद्ध एफ०आर्डी०आर० दर्ज कराते हुए सलग्न खसरो के अनुसार वक्फ सम्पत्ति पर मुतवल्ली सं० करवलाई अव्यास को कब्जा दिलाये जाने की कार्यवाही की जाये ताकि वक्फ सम्पत्ति की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

(सौ. गुलाम-राययदेन)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि: श्री सं० करवलाई अव्यास पुत्र स्व० श्री असगर हुसैन साकिन सं० 20 जैदी नगर, मेरठ को इनके प्रार्थना पत्र दिनांक 31.12.207 के संदर्भ में इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त के संबंध में सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित करके उचित कार्यवाही सुनिश्चित कराकर बोर्ड को अवगत कराने का काम करें।

(सौ. गुलाम-राययदेन)
प्रशासनिक अधिकारी

17
W.S.
31.12.67
ADML
31.12.67

IN THE HONBLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE NO. (04)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2017

(Under Article 226 of the Constitution of India)

DISTRICT : MEERUT

M/S Aman Enterprises and another VERSUS State of U.P. & others

43

शिया सेंट्रल बोर्ड आफ वाकफ्स, उ० प्र०
२१७, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ
Shia Central Board of Waqfs, U.P.
817, Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow
Ph. : 2286749

مشترکی و تقسیم پورڈ - اترپردیش
اندر ایجن، اشوک مارگ، لکھنؤ
نمبر : ۲۲۸۶۷۴۹

Dated : 12-3-08

Ref. No. 1495

श्री चारबलाई अब्बास,
मुतबल्ली बम्प,
सै० अखतर हुसैन, ग्राम नगराताशरी,
मुस्तफाबाद, कासिमपुर (टी-2361)
बंगलूर-मेरठ

बोर्ड ने अपने आदेश दिनांक 11.3.2008 के अन्तर्गत आपकी उस शर्त के साथ अनुमति दी जाती है कि बम्प सै० अखतर हुसैन खसरा सं०-15/1 रकबा 13-1-5 ग्राम नगराताशरी मुस्तफाबाद, कासिमपुर की सम्पत्ति को विक्रय/सौज/हकरारनामा पर बम्प अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत देते हुए प्राप्त आय से दूसरी भूमि खरीदकर बोर्ड में दर्ज कराये तथा 10 प्रतिशत विकास शुल्क भी जमा करे। बोर्ड के आदेश दिनांक 11.3.2008 की जायागीति जलान है।

संलग्नक : उपरोक्तानुसार।

PK
Ranali
12.3.08

(सै० रहमत हुसैन जैदी)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिनिधि
जिलाधिकारी/शपर अक्षय आसुबत, मेरठ को सूचनाथी।

(सै० रहमत हुसैन जैदी)
प्रशासनिक अधिकारी

R-3

سرکاری وقت پوزڈ - اترپردیش تراویحکام ورپورٹ


آدرش

بکف سٹو असंगर हुसन नगला तशी मुस्तकावाद कासिमपुर
जनपद मंत्र के मुतवलती श्री सौ करवलाई अव्वास द्वारा बौड के
लक्ष एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र दिनांक 05.03.2008 प्रस्तुत
करते हुए अनुरोध किया है कि उक्त बकफ के खसरा नं०-15/1
रकबा 13-1-5 जा पूर्व मुतवलती श्री जफर अव्वास द्वारा बंध जो
गयी थी तथा कुछ सम्पत्ति पर अर्ध कब्जा करा दिया गया है, के
सम्बन्ध में बौड से उन्ही कब्जदारों म अन्य का लॉज
इकरारनामा/किरायेनाम पर दिये जाने को अनुमति चाही गयी है।

पत्रावली सौ-टी-2361 का अधलोकन उपरान्त यह ज्ञात हुआ
कि बकफ सम्पत्ति जिसका खसरा नं०-15/1 रकबा 13-1-05 के कुछ
भाग को अर्ध रूप से पूर्व मुतवलती श्री जफर अव्वास द्वारा बंध
दिया गया था तथा कुछ भाग पर अर्ध कब्जा करा दिया गया है
जिसके कारण बकफ सम्पत्ति का काली क्षति हुई है तथा बकफ
सम्पत्ति से कोई आय भी नहीं प्राप्त हो रही है। मुतवलती श्री
करवलाई अव्वास द्वारा अर्ध काली के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही
करने पर अर्ध कब्जदार एक अन्य इस्तकत पत्र सहित हुए हैं कि
यदि उक्त आराजों भंगाने हेतु किराये/लॉज इकरारनामा पर
मुतवलती द्वारा दे दी जाय तां हम सभी कासिम बकफ के किरायेदार
बनने को तैयार है तथा उक्त आराजों से जो भी आय प्राप्त होगी
उस आय से कोई दूसरी जमाने उक्त बकफ के नाम खरीद कर बौड
में इन्द्राज कर दी जायेगी जिससे बकफ की सम्पत्ति में बर्बादी
होगी तथा आय भी प्राप्त होने लगेगी।

निरीक्षक बौड एवं प्रशासनिक अधिकारों ने भी बकफ हित में
उक्त बकफ सम्पत्ति को किराये/लॉज इकरारनाम पर दिये जाने को
अपनी सहमति दी है।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में बकफ हित में मुतवलती करवलाई
अव्वास का इस शर्त पर अनुमति दी जाती है कि वह अर्ध
खरीददार/कासिमों व अन्य का खसरा सौ-15/1 रकबा 13-1-5
बकफ अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत किराये/लॉज
इकरारनामा पर रहे हुए प्राप्त आय से दूसरी भूमि बकफ के नाम
खरीद कर बौड में भज कराने क्योकि किराये/लॉज इकरारनामों को
भूमि पर निर्माण कार्य भी होगा इस कारण इसे विकास को क्षति न
नानते हुए कुल प्राप्त आय पर 10 प्रतिशत विकास शुल्क बौड में
जमा करे तथा उक्त संबंधित किये गये इकरारनामों को कसरी बौड
में प्रस्तुत करे।


(अली अकबर)
जिला प्रभारी

R-3

سیکریٹری وائے ایچ ڈی ایچ فیروزا حکام

" آئندہ "

ذیل کے تمام جگہوں پر ہونے والے 2361 فیصلے تمام ناپسندیدہ
مقررہ طور پر مورخہ 14-3-2008 کے فیصلے آئندہ تاریخ 11-3-2008
کو اپنی تمام جگہوں پر نافذ کیے جائیں گے۔

- (1) پورنیا اور (پاٹنہ) کے تمام سٹیٹوٹریٹس اور ان کی ترمیمیں
 - (2) سٹیٹوٹریٹس کی ترمیمیں۔
 - (3) پورنیا اور (پاٹنہ) کے لیے پورنیا اور (پاٹنہ) کی ترمیمیں۔
- پورنیا اور (پاٹنہ) کے تمام جگہوں پر تمام جگہوں پر تمام جگہوں پر
دوسری آراء کی تمام جگہوں پر تمام جگہوں پر تمام جگہوں پر

تمام جگہوں پر تمام جگہوں پر تمام جگہوں پر تمام جگہوں پر
تمام جگہوں پر تمام جگہوں پر تمام جگہوں پر تمام جگہوں پر

Arhan
14/03/08

14-3-2008

جیلا پورنیا پراسرارٹی کمیشن،
سیما سنٹرل بزنس ڈویژن 3090
پورنیا

TESTED

06 MAR 2008

RENTAL SERVICE COMPANY
NOTARY (Reg. No. 10211)
PORNIA

14/03/08

Shie G. ...

R-3 100

46

कार्यालय जिलाधिकारी/नगर सर्वे कमिश्नर वरक, मेरठ ।

पत्रांक 1369/असंज-वरक/डी०-2361/जाच/2007-08 दिनांक: 24-3-2008

उप जिलाधिकारी,
मेरठ।

श्रीमती सैन्ट्रल वरक बोर्ड, उधुगु का पत्र सं०-747 दिनांक: 31-12-07 इन कार्यालय में प्राप्त हुआ है जो वरक सं० अलगर इलेनडुडु-2361; स्थित मौजा नगला ताशरी कासिमपुर हुसनाबाद तहसील व जिला मेरठ की सम्पत्ति पर नये सुतवली श्री सै० करनार्ड अडवात को कब्जा दिताये जाने के सम्बन्ध में है। उक्त पत्र में पूर्व सुतवली श्री अजर अडवात द्वारा मौजा नगला ताशरी कासिमपुर हुसनाबाद की आराजी कातरा न०-15/1 जो लगभग 5000 गज है को जिला वरक बोर्ड की अनुमति प्राप्त किये श्री विनोद कुमार पुत्र स्व० श्री अजर सिंह नि० कधीशपुरम सरधाना रोड मेरठ के नाम पार लाखा रु० में एक इकरारनामा/छाया प्रति संकेनह तथा धकी आराजी भूमिसंधिया व दीगर लोगो का कब्जा कराकर वरक सम्पत्ति को काफी क्षति पहुचाने की बात कही गई है।

अतः शिवाय वरक बोर्ड द्वारा प्रेषित पत्र सं० 747 दि: 31-12-2007 तथा वर्तमान सुतवली श्री करनार्ड अडवात द्वारा प्रस्तुत किये गये समस्त अभिलेखों की छाया प्रति आपको उपलब्ध कराते हुए वर्तमान सुतवली श्री सै० करनार्ड अडवात को नियमानुसार कब्जा दिताकर तथा सुतवली के रूप में उक्त वरक की सम्पत्ति पर इनका नाम दर्ज करते हुए उक्त वरक को भूमि पर अधिष्ठा कार्यय लोगो के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए इस कार्यालय को सूचित करने का कष्ट करे।

संलग्नक:- उपरोक्त/सुमार
द्वय पृष्ठ सं०-71

अवर जिलाधिकारी/नगर
मेरठ।

०८

जिला अधीक्षक/नगर कार्यय अधिकारी
मेरठ

FIRST INFORMATION REPORT

क्र. सं. = 262/100/2008/469/428/177/325

Distric (जिला) अरुणचल P.S. (थाना) अरुणचल Date (दिनांक) 2008 FIR No. (पं. सं. क्र. सं.) 134 Date Recd. (दिनांक प्राप्त) 12/9/08

- (i) Act (अपराध) / Section (धारा)
- (ii) Act (अपराध) / Section (धारा)
- (iii) Act (अपराध) / Section (धारा)
- (iv) Other Act & Sections (अन्य अपराध एवं धारा)

(अ) Occurrence of offence (घटना का) Day (दिनांक) Date from (दिनांक से) Date to (दिनांक तक) Time Period (परिधि) Time from (बजे से) Time to (बजे तक)

(आ) Information received at P.S. (थाने पर प्राप्त सूचना) Date (दिनांक) Time (समय)

(अ) General Diary Reference (संज्ञिक संख्या सं.) Entry No. (विधि सं.) Time (समय)

Type of Information (सूचना का प्रकार) Place of Occurrence (घटना का स्थान)

Place of Occurrence: P.S. (थाने पर) (अ) Direction and distance from P.S. (थाने से दिशा एवं दूरी) Use No. (धारा सं.)

(ब) Address (पता)

(क) In case, outside the limit of this Police Station, then (यदि इस थाने की सीमा से बाहर है, तब जा)

Name of P.S. (थाने का नाम) District (जिला)

6. Complainant / Informant: (सिकायतकर्ता/ सूचित करने वाला)

(अ) Name (नाम) (ब) Father/Husband's Name (पिता/पति का नाम)

(क) Date of Issue (नारी का दिनांक) (द) Nationality (राष्ट्रियता)

(ए) Passport No. (पासपोर्ट नं.)

Date of Issue (नारी का दिनांक) Place of Issue (नारी करने का स्थान)

(ख) Occupation (व्यवसाय)

(ग) Address (पता)

7. Details of Person/suspect/unknown accused with full particulars (आरोपित/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण) (Attach separate sheet, if necessary) (यदि आवश्यक है, तो अलग पृष्ठ चढ़ाएं)

1. नाम

2. पता

3. रजिस्ट्रार कार्यालय

4. अज्ञात अभियुक्तों का विवरण

Reason for delay in reporting by the complainant/informant (शिकायतकर्ता/अज्ञात द्वारा देर से दाना, सूचना देने की वजह)

2. आर.एस.एस. सुपरवाइजर तत्कालीन अवसर पर दाना देकर

Particulars of properties stolen (चोरी हुई सम्पत्ति का विवरण) (Attach separate sheet, if necessary) (यदि आवश्यक हो, तो अलग पत्र संलग्न करें)

Total value of property stolen (चोरी हुई सम्पत्ति का कुल मूल्य)

Incident Report (घटना रिपोर्ट) / U.D. case No (आपातकालीन नृत्य, मामला सं.) / if any (यदि कोई हो तो)

F.I.R. contents (घ.सू.वि. की विषय वस्तु) (Attach separate sheet, if required) (यदि आवश्यक हो, तो अलग पत्र संलग्न करें)

आश्रिभूतों से रा. जाली, चकी के लकड़ारी लैंगल टांग लेने सम्बन्ध कापगलेमस काक लकड़ारी शरीर के कापम वरी की काशपदे 184000/- का इतर संलग्न।

दस्ता 1120/467/468/4710.स 4110 का 28/1/88 - 379 HC

19/9/88

Action taken (कोई गई कार्रवाई) (Since the above information results commission of offence(s) as mentioned at item No 2 यदि उक्त सूचना द्वारा, मद सं. 2 पर उल्लिखित धाराओं के अन्तर्गत अपराध होने की पता चलता है

- (1) Registered the case and took up the investigation or (मामला पंजीकृत किया और जांच आरम्भ की गई थी)
- (2) Directed SN/Smt./Km. (Name of I.O./निमित्तविपु, (जांच अधिकारी का नाम) Sub. no. 1012 Rank/Ptd. SI No. (सं.) 1012 to take up the investigation or (को जांच आरम्भ करने में निर्देश दिये गए थे)
- (3) Refused investigation due to (जिन कारणों से जांच करने से इनकार किया गया) Or else
- (4) Transferred to P.S. (मामला स्थानान्तरित किया गया, धाने का नाम) Dist/ct (जिला) on point of jurisdiction (क्षेत्रधिकार की दृष्टि से).

F.I.R. read over to the complainant / informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant / informant, free of cost. (घ.सू.वि. शिकायतकर्ता/अज्ञात को पढ़कर सुनाई गई, जिनमें सही तथ्यों की पुष्टि की और शिकायतकर्ता/अज्ञात को देकर को एक प्रति नि:शुल्क प्रदान की गई।)

R.O.A.C. (चक्र सं. मुनाफा और सही पाया गया।)

Signature of Officer in Charge, Police Station (जाता प्रभारी के हस्ताक्षर) 19/9/88

Signature / Thumb impression of the complainant / informant (शिकायतकर्ता/अज्ञात द्वारा दाने के हस्ताक्षर/अंगुठे का निशान) Name (नाम) Rank (पद) No. (संख्या)

Date and time of dispatch to the court (न्यायालय को भेजने की तिथि और समय)

(7) **شیعہ مرکزی وقف بورڈ - اترپردیش** R-4

54

فروادہ کام اور پورٹ



آदेश

وقف سہ 0 असगर हुसीन गंगला तारी मुस्तफाबाद जामिमपुर
 जगन्नाथ भोरठ के मुतवल्ली श्री गौ कारवलाई अध्यास द्वारा बोर्ड के
 माफिक एक पार्थना पत्र अध्यास द्वारा 07 दिनांक 05.03.2008 प्रस्तुत
 भारत हुए अनुरोध किया है कि अगत वक्फ के खसरा नं-15/1
 रकबा 13-1-5 जो पूर्व मुतवल्ली श्री जफर अध्यास द्वारा बँच दी
 गयी थी तथा कुछ सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करा दिया गया है, के
 माफिक में बोर्ड से उन्ही कब्जेदारों व अन्य को लीज
 इकरारनामा/किरायेनाम पर दिये जाने की अनुमति चाही गयी है।

पत्रावली सं-डी-2361 का अवलोकन उपरान्त यह ज्ञात हुआ
 कि वक्फ सम्पत्ति जिसका खसरा नं-15/1 रकबा 13-1-05 के कुछ
 भाग को अवैध रूप से पूर्व मुतवल्ली श्री जफर अध्यास द्वारा बँच
 दिया गया था तथा कुछ भाग पर अवैध कब्जा करा दिया गया है
 जिसके कारण वक्फ सम्पत्ति को क्षति हुई है तथा वक्फ
 सम्पत्ति से कोई आय भी नहीं प्राप्त हो रही है। मुतवल्ली श्री
 गंगलाइ अध्यास द्वारा अवैध मानितों को विरुद्ध कानूनी कार्यवाही
 करने पर अवैध कब्जेदार एवं अन्य इस बात पर सहमत हुए हैं कि
 यदि उक्त आराजी मकान धराने के किराये/लीज इकरारनामा पर
 मुतवल्ली द्वारा दे दी जाय तो तब भी अवैध वक्फ के किरायेदार
 अपने को तैयार हैं तथा उक्त आराजी में जो भी आय प्राप्त होगी
 उस आय से कोई दूसरी जगह उक्त वक्फ के नाम खरीद कर बोर्ड
 में इन्द्राज करा दी जायेगी जिससे वक्फ की सम्पत्ति में बढ़ोतरी
 होगी तथा आय भी प्राप्त होने लगेगी।

निरीक्षक बोर्ड एवं प्रशासनिक अधिकारियों को वक्फ हित में
 तथा वक्फ सम्पत्ति को किराये/लीज इकरारनामा पर दिये जाने की
 अपनी सहमति दी है।

अतः उपरोक्त के सम्मेलन में वक्फ हित में मुतवल्ली कारवलाई
 अध्यास को इस शर्त पर अनुमति दी जाती है कि वह अवैध
 खरीददार/काबिजों व अन्य को खसरा नं-15/1 रकबा 13-1-5
 वक्फ अधिनियम 1995 के प्रावधानों के अन्तर्गत किराये/लीज
 इकरारनामा पर देते हुए प्राप्त आय में दूरी भूमि वक्फ के नाम
 खरीद कर बोर्ड में दर्ज करवाये जाय कि किराये/लीज इकरारनामों को
 भूमि पर निर्माण कार्य भी होगा इस कारण इसे विकास की श्रेणी में
 मानते हुए कुल प्राप्त आय पर 10 प्रतिशत विकास शुल्क बोर्ड में
 जमा करे तथा उससे संबंधित दिये गये इकरारनामों को कामो बोर्ड
 में प्रस्तुत करे।

Handwritten signature and date: 11/03/2008

मुख्य अधिकारी (मुख्य)
 11/03/2008

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE NO. (09)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2017

(Under Article 226 of the Constitution of India)

DISTRICT : MEERUT

M/S Aman Enterprises and another VERSUS State of U.P. & others.

शिया सेंट्रल बोर्ड आफ वाकफ्स, उ० प्र०

c-99, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

Shia Central Board of Waqfs, U.P.

817, Indira Bhawan, Ashok Marg, Lucknow

Ph. : 0522-2286497, 3209108

شیرازی مرکزی وقف بورڈ - اتر پردیش

۸۱۷، اندرا بھون، اشوک مارگ، لکھنؤ

فون نمبر : ۰۵۲۲-۲۲۸۶۴۹۷، ۳۲۰۹۱۰۸

Ref. No. 1146

Dated : 08-01-2015

श्री शिखर आबबासा,
मुलायमल्लो,
वक्फ सै० अख्तार हुसैन,
जनपद-मेरठ।

बोर्ड ने अपनी बैठक दिनांक 06-01-2015 में वक्फ सै० अख्तार हुसैन जनपद-मेरठ में मुलायमल्लो/ग्रन्थ कमेटी पद हेतु अप्रैक प्रस्ताव/अनुरोध पर विचार करते हुए बैठक में उपस्थित सदस्यों की बहुमत से निर्णय लिया है जोकि पत्र के साथ संलग्न है।

आपको निर्देशित किया जाता है कि वक्फ का चार्ज ग्रहण करते हुए बोर्ड द्वारा लिये गये निर्णय/निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करायें।
संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

(सै० मुलाम सायदैन रिजावी)
प्रशासनिक अधिकारी

IN THE HON'BLE HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

ANNEXURE NO. (07)

IN

CIVIL MISC. WRIT PETITION NO. OF 2017

(Under Article 226 of the Constitution of India)

DISTRICT: MEERUT

M/S Aman Enterprises and another VERSUS State of U.P. & others

शिया सेन्ट्रल बोर्ड आफ वाकफस, उ० प्र०

८१७, इन्दिरा भवन, अशोक मार्ग, लखनऊ

Shia Central Board of Waqfs, U.P.

B17, Indira Bhawan, Ahsok Marg, Lucknow.

☎ 274598

شعبه مرکزی وقف بورڈ آف انڈیا

۸۱۷ - اندرا بھون، اشوک مارگ، لکھنؤ

فون نمبر - ۲۷۴۵۹۸

Ref. No. 191

Dated: 26/7/2017

सेवा में

जिलाधिकारी महोदय
जनपद मेरठ

आपको वाकफ असगर हुसैन नं० 2361 वाकफ जलल जालाद मेरठ में बोर्ड के आदेश दिनांक 6-8-2010 द्वारा मुताबल्ली के पद पर नियुक्त किया गया है। चूंकि श्री करबलाई अब्बास के स्क में बोर्ड का आदेश दिनांक 11-3-2008 व 14-3-2008 तसरा सं० 15/1 स्थित नंगला ताशी कासमपुर के सम्बन्ध में किया था परन्तु श्री करबलाई अब्बास की मृत्यु हो चुकी है ऐसी स्थिति में उक्त आदेश दिनांक- 11-3-2008 व 14-3-2008 जब श्री हसनैन युसुफ मुताबल्ली वाकफ असगर हुसैन मेरठ पर लागू होगा। जिसकी प्रति लिपि संलग्न है।

(सं० गुलाम सययदेन रिजवी)
प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिलिपि-

- 1- उपर आयुक्त वाकफ मेरठ ।
- 2- श्री हसनैन युसुफ पुत्र तल्लीगुल वसन मुताबल्ली अब्दुल्लापुर मेरठ ।

21(1)/2017-2018

(सं० गुलाम सययदेन रिजवी)
प्रशासनिक अधिकारी

V. M. Gupta

Advocate

Chamber No. 127,
High Court, Allahabad.

Writ 'C' No. 26134 of 2017


District : Meerut

M/S Aman Enterprises & another

Versus

State of U.P. & 5 others

Copy of Order Dated: 12.09.2019



Court No. - 4

Case :- WRIT - C No. - 26134 of 2017

Petitioner :- M/S Aman Enterprises And Another

Respondent :- State Of U.P. And 5 Others

Counsel for Petitioner :- Javed Husain Khan, Gulrez Khan, W.H. Khan

Counsel for Respondent :- C.S.C., Ajay Kumar Singh, Ashish Kumar Singh, Punit Kumar Gupta

Hon'ble Bala Krishna Narayana J.

Hon'ble Prakash Padia J.

1. Heard W.H. Khan, Senior Advocate assisted by Sri Gulrez Khan, learned counsel for the petitioners, Sri Punit Kumar Gupta for respondent nos. 2, 3 and 4, Sri Ashish Kumar Singh for respondent no. 6 and learned standing for respondent nos. 1 and 5.

2. Briefly stated the facts of this case are that upon expiration of the term of Hasnain Yusuf as Mutawalli of Wakf Nos. I-2309, I-2310, I-2361 and I-616, the respondent no. 6 was appointed as Mutawalli of the aforesaid Wakfs by the respondent no. 2 by order dated 6.1.2015 which was notified vide office memorandum dated 8.1.2015 (Annexure-9 to the writ petition). The respondent no. 2 by its letters dated 2.3.2015 and 6.5.2015 directed the respondent no. 6 to sell khasta no. 15/1 area 13-1-5 situated in village Naglatashi, Kasimpur, Mustafabad, District Meerut in terms of the earlier orders dated 11.3.2008 and 14.3.2008 and purchase some other more profitable property. Copies of the letters dated 2.3.2015 and 6.5.2015 have been collectively brought on record as Annexure-10 to the writ petition. In pursuance of the direction given by the respondent no. 2 to the respondent no. 6, he sold an area of 5 kachcha bighas of plot no. 15/1 to the petitioners by registered sale deed dated 15.4.2017 for a total sale consideration of Rs. 50 lakhs. copy of the sale deed has been brought on record as Annexure-11 to the writ petition. The respondent no. 3 by order dated 25.5.2017 declared the sale deed of the petitioners as void and further directed the collector to resume the property purchased by the

petitioners and to get a criminal case registered against them under Section 52 of the Wakf Act. The order dated 25.5.2017 also contains a rectal that the orders dated 11.3.2018 and 14.3.2018 passed by respondent no. 2 directing the Mutawalli of the Wakf to sell plot no. 15/1 were also cancelled by the respondent no. 3 by the same order.

3. Hence this writ petition has been filed by the petitioners with the following prayer:

(i) to issue a writ order or direction in the nature of certiorari quashing the order dated 25.05.2017 and order dated 10.08.2015 passed by respondent no. 3 (Annexure Nos. 1 & 2 to the writ petition).

(ii) to issue any other writ, order or direction to which this Hon'ble Court may deem fit and proper in the facts and circumstances of the case.

(iii) to award cost of the petition.

4. It is contended by the learned counsel for the petitioners that the impugned orders dated 25.5.2017 (Annexure-1) and 10.8.2015 (Annexure-2) have been passed by the respondent no. 3 in gross violation of the principles of natural justice without either giving any notice to the petitioners or affording any opportunity of hearing to them. It is further contended that since the impugned orders carried civil consequences, it was incumbent upon the respondent no. 3 to have given opportunity to the petitioners to plead their cause before the respondent no. 3, this having not been done, the impugned orders which are per se illegal, cannot be sustained and are liable to be set aside. He next submitted that under Section 52 of U.P. Shia Central Wakf Act, 1995, respondent no. 2 alone has been empowered to send requisition to the Collector within whose jurisdiction the property in respect of which the Board after making an enquiry is satisfied, has been transferred in contravention of Section 51 of the Wakf Act to obtain and deliver the possession of such property.

5. In the instant case, neither the impugned orders have been passed by the respondent no. 2 nor any enquiry as contemplated under Section 52 of the Act was conducted before passing the impugned orders and hence the impugned orders which are also without jurisdiction are liable to be quashed on the aforesaid count also.

6. Per contra Sri Punit Kumar Gupta, learned counsel for respondent nos. 2, 3 and 4, Sri Ashish Kumar Singh, learned counsel appearing for respondent no. 6 and learned standing for respondent nos. 1 and 5 have made a feeble attempt to defend the impugned orders.

7. We have heard the learned counsel for the parties present and perused the material brought on record.

8. Before appreciating the submissions made by the learned counsel for the parties, it would be useful to extract section 51 and 52 of the Wakf Act hereinbelow :

"51. Alienation of Wakf property without sanction of Board to be void—

(1) Notwithstanding anything contained in the Wakf deed, any gift, sale, exchange or mortgage of any immovable property which is Wakf property, shall be void unless such gift, sale, exchange or mortgage is effected with the prior sanction of the Board: Provided that no mosque, dargah or khongah shall be gifted, sold, exchanged or mortgaged except in accordance with any law for the time being in force.

(2) The Board may, after publishing in the Official Gazette, the particulars relating to the transaction referred to in sub-section (1) and inviting any objections and suggestions with respect thereto and considering all objections and suggestions, if any, that may be received by it from the concerned mutowalli or any other person interested in the Wakf, accord sanction to such transaction if it is of opinion that such transaction is—

(i) necessary or beneficial to the Wakf;

(ii) consistent with the objects of the Wakf;

(iii) the consideration thereof is reasonable and adequate: Provided that the sale of the property sanctioned by the Board shall be effected by public auction and shall be subject to confirmation by the Board within such time as may be prescribed: Provided further that the Tribunal may, on the

application of the aggrieved mutawalli or other person, for reasons to be recorded by it in writing, permit such sale to be made otherwise than by public auction if it is of opinion that it is necessary so to do in the interest of the Wakf.

(3) The utilisation or investment of the amount realised by the sale or exchange mortgage of any property shall be made by the mutawalli subject to the approval of the Board, and where any amount has been raised by mortgage of any such property, the mutawalli or other person shall make repayment of the mortgage-debt and obtain a discharge of the mortgage-debt from the mortgage within such reasonable time as the Board may specify.

(4) Every approval given by the Board under sub-section (3) shall be communicated to the mutawalli and shall also be published in the manner prescribed.

(5) The mutawalli or any other person having an interest in the Wakf who is aggrieved by the decision given under sub-section (3), may, within ninety days from the date of communication to him of such decision or the publication of the decision, as the case may be, prefer an appeal to the Tribunal against such decision, and, thereupon, the Tribunal may, after giving the appellant and the Board, a reasonable opportunity of being heard, confirm, modify or set aside such decision.

52. Recovery of Wakf property transferred in contravention of section 51.—

(1) If the Board is satisfied, after making any inquiry in such manner as may be prescribed, that any immovable property of a Wakf entered as such in the register of Wakf maintained under section 36, has been transferred without the previous sanction of the Board, in contravention of the provisions of section 51, it may send a requisition to the Collector within whose jurisdiction the property is situate to obtain and deliver possession of the property to it.

(2) On receipt of a requisition under sub-section (1), the Collector shall pass an order directing the person in possession of the property to deliver the property to the Board within a period of thirty days from the date of the service of the order.

(3) Every order passed under sub-section (2) shall be served—

(a) by giving or tendering the order, or by sending it by post to the person for whom it is intended; or

(b) if such person cannot be found, by affixing the order on some

conspicuous part of his last known place of abode or business, or by giving or tendering the order to some adult male member or servant of his family or by causing it to be affixed on some conspicuous part of the property to which it relates; Provided that where the person on whom the order is to be served is a minor, service upon his guardian or upon any adult male member or servant of his family shall be deemed to be the service upon the minor.

(4) Any person aggrieved by the order of the Collector under sub-section (2) may, within a period of thirty days from the date of the service of the order, prefer an appeal to the Tribunal within whose jurisdiction the property is situate and the decision of the Tribunal on such appeal shall be final.

(5) Where an order passed under sub-section (2) has not been complied with and the time for appealing against such order has expired without an appeal having been preferred or the appeal, if any, preferred within that time has been dismissed, the Collector shall obtain possession of the property in respect of which the order has been made, using such force, if any, as may be necessary for the purpose and deliver it to the Board.

(6) In exercising his functions under this section the Collector shall be guided by such rules as may be provided by regulations."

9. Even the most superficial reading of Section 51 & 52 of the Wakf act indicates that alienation of Wakf property without sanction of Board shall be void. Section 52 of the Wakf act further stipulates that if the Board is satisfied, after making an inquiry in such manner as may be prescribed, that any immovable property of a Wakf entered as such in the register of Wakf maintained under section 36, has been transferred without the previous sanction of the Board in contravention of the provisions of section 51, it may send a requisition to the Collector within whose jurisdiction the property is situate to obtain and deliver possession of the property to it.

10. In the instant case, we find that the petitioners in paragraph 17, 20 and 21 of the writ petition have categorically stated on oath that before passing the impugned orders neither any enquiry was conducted nor any

notice was issued to the petitioners. It has further been categorically stated that the impugned orders have been passed by the respondent no. 3 without issuing any notice to the petitioners or affording them any opportunity of hearing and also without holding any enquiry. The averments made in paragraph 17, 20 and 21 of the writ petition by the petitioners have not been controverted categorically by the respondents.

11. Learned counsel for the respondents have not been able to demonstrate before us that the respondent no. 3 before passing the impugned orders dated 25.5.2017 (Annexure-1) and 10.8.2015 (Annexure-2) had either complied with the principles of natural justice or any enquiry as envisaged under Section 52 of the Act was conducted by the respondent no. 3. Learned counsel for the respondents have also failed to satisfy us that the respondent no. 3 had any jurisdiction to pass the impugned orders.

12. Thus in view of the above, we have no hesitation in holding that the impugned orders which have been passed by the respondent no. 3 are not only without jurisdiction in as much as the Board alone is competent to pass an order under section 52 of the Wakf act and not its chairman but the same are also vitiated on account of having passed by the respondent no. 3 in gross violation of the principles of natural justice. Hence the impugned orders cannot be sustained and are liable to be quashed.

13. The writ petition succeeds and is accordingly allowed. The impugned orders dated 25.5.2017 (Annexure-1) and 10.8.2015 (Annexure-2) are hereby quashed.

14. This order shall not preclude the Board from initiating any fresh proceeding against the petitioners upon being satisfied that the Wakf property was alienated by the respondent no. 6 in contravention of Section 51 of U.P. Shia central Wakf Act. 1995.

Order Date :- 12.9.2019/SA

AUTHENTICATED COPY
[Signature]
15/11/19
SECTION OFFICER
COMPUTERISED COPYING SECTION
HIGH COURT, ALLAHABAD

सेवा में,

श्रीमान अध्यक्ष,
शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड,
छठां तल, इन्दिरा भवन,
लखनऊ, उ०प्र०।

श्रीमान जी,

वक्फ सै० असगर हुसैन रजि० आई 2361 मेरठ में बोर्ड के हुक्म दिनांक 11.03.2008 एवं 14.03.2008 के तहत वक्फ सै० असगर हुसैन रजि० नम्बर-2361 मेरठ की सम्पत्ति खसरा नम्बर 15/1 स्थित ग्राम नगलाताशी कासमपुर, जनपद मेरठ रकबा 13-1-05 को एक्सचेन्ज ऑफ प्रापर्टी के तहत उस समय के भुतवल्ली स्व० करबलाई अब्बास को बोर्ड के पत्र संख्या-1495 दिनांक 12.03.2008 को जारी किया गया था जिसके अनुपालन में स्व० करबलाई अब्बास भुतवल्ली ने दिनांक 25.11.2009 मुख्तार आम के तहत रजिस्ट्रीशुदा किया, जिसमें नौ बीघा भूमि वक्फ के एवज में स्व० करबलाई अब्बास भुतवल्ली ने बजरिये बैनामा दिनांक 09.12.2009 में खाता संख्या-330 गाटा संख्या-802 मिनजुमला रकबा 0.226, 807 रकबा 0533, 808 मिनजुमला रकबा 0.4710 हे० कुल तीन केस रकबा 1.240 हे० ग्राम जौली परगना व तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर में लिया जिसको बोर्ड के धारा 37 में दर्ज कराने हेतु स्व० करबलाई अब्बास (भुतवल्ली) ने दिनांक 17.12.2009 में दरखास्त दिया था तथा उक्त भूमि के विक्रय का बोर्ड का मुतालबा बोर्ड की रसीद नं०-1402 दिनांक 17.12.2009 पर रू० 80,000/- जमा किया था।

स्व० हसनैन युसुफ (भुतवल्ली) को बोर्ड के पत्र सं०-121 दिनांक 26.07.2011

बाकी आराजी के लिए एक्सचेन्ज ऑफ प्रापर्टी की अनुमति दी गयी थी। प्रार्थी

(भुतवल्ली) को बोर्ड के पत्र संख्या-1949 दिनांक 02.03.2015 एवं जिलाधिकारी /अपर

[Handwritten signature]
05-11-2015

क्रमांक
जिलाधिकारी
उक्त तल, उक्त इलाका
अशोक मार्ग, इतरत

-2-

वक्फ आयुक्त को बोर्ड का पत्र संख्या 129 दिनांक 06.05.2015 उक्त संपत्ति को एक्सचेंज ऑफ प्रापर्टी के लिए जारी किया गया है। जिसके अनुपालन में प्रार्थी (मुतवल्ली) द्वारा वक्फ आराजी खसरा नंबर 15/1 स्थित नगलाताशी कासमपुर जिला मेरठ का बैनाम रजिस्ट्रीशुदा 15.04.2017 में अमन इण्टरप्राइजेज के अब्दुल वाहिद व मोबिन कुरैशी को 50 लाख में किया था। जिसके एवज में ग्राम व परगना अगवानपुर द्वितीय किठौर तहसील मवाना मेरठ में आराजी संख्या 2487 व 2488 रकबा 1.8970 वक्फ असगर हुसैन रजि० आई2361 व 2310 के नाम रजिस्ट्रीशुदा बैनामा 01.05.2017 में कराया है जिसका बोर्ड का मुतालबा 5 लाख रुपये जमा किये जाने का चेक व उक्त रजिस्ट्रीशुदा बैनाम को बोर्ड के धारा 37 में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन पत्र दिया था। जिस पर बोर्ड ने अपने अधिकारों विरुद्ध आदेश दिनांक 10.08.2015 बोर्ड की अनुमति 11.3.2008 व 14.03.2008 निरस्त कर दिया। जिसके विरुद्ध प्रार्थी (मुतवल्ली) को बोर्ड द्वारा धारा 64 कारण बताओ नोटिस बोर्ड के पत्र संख्या 413 दिनांक 26.05.2017 में दिया गया था। जिसका जबाव भी श्री जिया अब्बास मुतवल्ली ने दिनांक 19.06.2017 में श्री जिया अब्बास मुतवल्ली ने दिया था। जबकि बोर्ड द्वारा बिना कोई नोटिस जारी किये दिनांक 25.05.2017 में धारा 52 एवं धारा 64 का आदेश करने के बाद जबाव मांगा गया था जिसके विरुद्ध वक्फ संपत्ति को बोर्ड की अनुमति अनुसार क्रय करने वाले अमन इण्टरप्राइजेज ने मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद में रिट संख्या 26134/2017 दाखिल किया। जिसका मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश दिनांक 02.06.2017 में बोर्ड ओदश दिनांक 25.05.2017 पर स्थगन ओदश किया जिसका फाइनल आदेश मा० उच्च न्यायालय इलाहाबाद दिनांक 12.09.2019 में वक्फ संपत्ति जो बोर्ड के ओदश के अनुमति दिये एक्सचेंज ऑफ प्रापर्टी अर्थात् धारा 51 के तहत तथा बोर्ड आदेश दिनांक 10.08.2015 बोर्ड की पूर्व अनुमति दिनांक 11.03.2008 व 14.03.2008 निरस्त कर दी गयी थी एवं

25.05.2017 धारा 52 की कार्यवाही और बोर्ड आदेश दिनांक 10.08.2015 व 25.05.2017 को मा० उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है। अग्रिम कार्यवाही मा० उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार अब आप द्वारा की जानी है।

अतः मान्यवर से अनुरोध है कि मा० उच्च न्यायालय के आदेश को मद्देनजर रखते हुए बोर्ड की अनुमति से की गयी एक्सचेंज ऑफ प्रापर्टी के तहत वक्फ सैययद असगर हुसैन रजि० नंबर आई2361 व 2310 के नाम रजिस्ट्रीशुदा बैनामा की संपत्ति स्थित ग्राम व परगना अगवानपुर द्वितीय किठौर, तहसील मवाना, जिला मेरठ को धारा 37 में दर्ज कराने तथा बोर्ड का मुतालबा 5 लाख रुपये बोर्ड में जमा कराने हेतु आदेशित करने की कृपा करें। मान्यवर के अवलोकन के लिए उपरोक्त लिखे गये पत्र और प्रार्थना पत्र के साथ मुतालबे का चेक रू० पाँच लाख का जिनका नं०-500508 दिनांक 13.04.2022 है जमा किया जा रहा है प्रतिलिपि के साथ संलग्न है।

संलग्नक:

1. बोर्ड के आदेश दिनांक 11.03.2008 व 14.03.2008 अनुमति की छायाप्रति।
2. पत्र बोर्ड संख्या 1495 दिनांक 12.03.2008 अनुमति की छायाप्रति।
3. रजिस्ट्रशुदा मुख्तार आम 25.11.2009 की छायाप्रति।
4. रजिस्ट्रीशुदा बैनामा दिनांक 09.12.2009 की छायाप्रति।
5. दरखास्त करबलाई अब्बास 17.12.2009 व बोर्ड मुतालबे की रसीद की छायाप्रति।
6. बोर्ड पत्र संख्या 121 दिनांक 26.07.2011 श्री हसनैन युसुफ को अनुमति पत्र की छायाप्रति।
7. बोर्ड पत्र संख्या 1949 दिनांक 02.03.2015 श्री जिया अब्बास को अनुमति की छायाप्रति।
8. बोर्ड पत्र संख्या 129 दिनांक 06.05.2015 जिलाधिकारी/अपर वक्फ आयुक्त मेरठ की छायाप्रति।

9. रजिस्ट्रीशुदा बैनामा दिनांक 15.04.2017 व 01.05.2017 की छायाप्रति।
10. प्रार्थना पत्र श्री जिया अब्बास व चेक की प्रति 23.05.2017 की छायाप्रति।
11. बोर्ड पत्र संख्या 413 दिनांक 26.05.2017 की छायाप्रति।
12. जवाब श्री जिया अब्बास दिनांक 19.06.2017 की छायाप्रति।
13. बोर्ड आदेश दिनांक 25.05.2017 की छायाप्रति।
14. बोर्ड पत्र संख्या-658 I दिनांक 21.08.2007 बोर्ड बैठक धारा-27 के अन्तर्गत सदस्य श्री अली अकबर साहब।
15. मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद 02.06.2017 स्थगन ओदश की छायाप्रति।
16. फाइनल आदेश मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद दिनांक 12.09.2019 की छायाप्रति।
17. खतौनी वक्फ संपत्ति एक्सचेंज ऑफ प्रापर्टी की छायाप्रति।
18. प्रार्थना पत्र के साथ मुताल्लिबा का रू0 5,00,000/- (पाँच लाख रुपये) का चेक जिसका नं०-500500 सिंडिकेट बैंक जागृति विहार मेरठ, दिनांक 13.04.2022 का

Zia Abbas

दिनांक: 05/04-2022

जनपद इलाहाबाद 100 पीछे

प्रार्थी
Zia Abbas

(श्री जिया अब्बास)

पुत्र स्व0 कमर अब्बास


पूर्व (मुतावल्ली) वक्फ सैययद असगर हुसैन

आई 2309 व आई 2310, आई 2361, आई 616

निवासी- 59, कोर्ट, अब्दुल्लापुर

जनपद- मेरठ

मो0-9105054786



20-4-72
कार्यालय जिलाधिकारी
ई० आर० के०
अनुभाग
मेरठ

सेवा मे,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जनपद मेरठ।

विषय: खसरा संख्या 151। स्थित
गगनावासी परगना तहसील के
जिला के सम्बन्ध में 'सर्वा
लाम्बित आप्रवाही माननीय बम्बू
वर्डे लखनऊ द्वारा समाप्त हुए
जापी को मानिकाना इकाइयों
विधे जाने के सम्बन्ध में।

श्रीमानजी,

निवेदन है कि खसरा संख्या
151। स्थित गगनावासी वासपुर
परगना तहसील जिला मेरठ पर
भाग ए-एर जाइजेज व पूर्व कुतवल्ली
के विरुद्ध कुद गमत आप्रवाहीयों
माननीय बम्बू वर्डे लखनऊ द्वारा
कार की गी दिठ सम्बन्ध में
जापी के एक रिट याचिका लेख्य
माननीय उच्च-पापालय इलाहाबाद
के वापर की थी। माननीय उच्च
पापालय इलाहाबाद द्वारा रिट संख्या

(2.)

26134/2017 को जर्जी के विरुद्ध लम्बे
व्यापकियों को लम्बे करते हुए जर्जी
को कालिका डेव डेव वम्बु बोर्ड
लखनऊ को व्यापक डेव निदेशित
किया।

राजस्थान वम्बु बोर्ड लखनऊ द्वारा
राजस्थान उच्च न्यायालय इलाहाबाद के
आदेश का पालन करते हुए जर्जी से
मुलावला जमा कराकर कालिका डेव
प्रदान कर दिया है जिसकी प्रमाण
श्रीमानजी को भी जा रही है क्योंकि
जबकि जर्जी के विरुद्ध कोई व्यापकियाँ
लंबित हो तो लम्बे की जमीन न्यायालय
के आदेश पर है।

अतः श्रीमानजी से जर्जी को जर्जी
के जर्जी पर पट गजरीता से जौध अथवा
साव दिवक के लम्बे जर्जी के विरुद्ध
लम्बित जमीन को लम्बे करने की छुप
करे।

दिनांक: 20/4/22

जर्जी
31eAbbas

9105054786
को 91005054786

जिया अन्वास पुत्र अन्वास
(श्री शिववन्ती) वम्बु सेक्टर
अन्वास डेव 1-2309, 2310, 2361
616, अन्वास डेव

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय,
जनपद मेरठ।

श्रीमानजी,

वक्फ सैयद असगर हुसैन रजिस्टर्ड आई 2361 में बोर्ड के हुक्म दिनांक 11.03.2008 एवं 14.03.2008 के तहत वक्फ सैयद असगर हुसैन रजिस्टर्ड आई 2361 मेरठ की सम्पत्ति खसरा संख्या 15/1 स्थित ग्राम नगलाताशी कासमपुर जनपद मेरठ क्षेत्रफल 13-1-05 को एक्सचेंज आफ प्रापर्टी के तहत उस समय के मुतावल्ली स्वर्गीय करबलाई अब्बास की बोर्ड के पत्र संख्या 1495 दिनांक 12.03.2008 को जारी किया गया था जिसके अनुपालन में स्वर्गीय करबलाई अब्बास मुतावल्ली ने दिनांक 25.11.2009 मुख्तार आम के तहत रजिस्टर्ड किया जिसमें नौ बीघा भूमि वक्फ के एवज में करबलाई अब्बास मुतावल्ली ने बजरिये बैनामा दिनांक 09.12.2009 में खाता संख्या 802, मिनजुमला रकबा 0.226 हे., खाता संख्या 807 रकबा 0533 हे., खाता संख्या 808 मिनजुमला रकबा 0.4710 हे., कुल तीन केस रकबा 1.240 हे. ग्राम जौली परगना व तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर में लिया जिसको बोर्ड के धारा 37 में दर्ज कराने हेतु स्व० करबलाई अब्बास मुतावल्ली ने दिनांक 17.12.2009 में दरखास्त दिया था तथा उक्त भूमि के विक्रय को बोर्ड का मुतालबा बोर्ड की रसीद संख्या 1402 दिनांक 17.12.2009 पर 80,000 रुपये जमा किया था।

स्व० करबलाई अब्बास मुतावल्ली को बोर्ड के पत्र संख्या 121 दिनांक 26.07.2011 बाकी आराजी के लिए एक्सचेंज आफ प्रापर्टी की अनुमति दी गयी थी। प्रार्थी जिया अब्बास मुतावल्ली को बोर्ड के पत्र संख्या 1949 दिनांक 02.03.2015 एवं जिलाधिकारी/अपर जिलाधिकारी वक्फ आयुक्त को बोर्ड का पत्र संख्या 129 दिनांक 09.05.2015 उक्त वक्फ सम्पत्ति को एक्सचेंज आफ प्रापर्टी के लिए जारी किया गया है। जिसके अनुपालन में प्रार्थी जिया अब्बास मुतावल्ली द्वारा वक्फ आराजी खसरा संख्या 15/1 स्थित नगलाताशी कासमपुर जिला मेरठ का बैनामा रजिस्ट्रीशुदा 15.04.2017 ने अमन इण्टरप्राइजेज के अब्दुल वाहید व मोबिन कुरैशी को 50 लाख में किया था, जिसके एवज में परगना अगवानपुर द्वितीय किठौर तहसील मवाना मेरठ से आराजी संख्या 2487 व 2488 रकबा 1.8970 वक्फ

BioAbba

असगर हुसैन रजिस्टर्ड आई 2361 व 2310 के नाम रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 01.05.2017 में कराया है जिसका बोर्ड का मुतालबा 5 लाख रुपये जमा किये जाने का चैक व उक्त रजिस्टर्ड बैनामे की बोर्ड की धारा 67 में दर्ज किये जाने हेतु आवेदन दिया गया, जिस पर बोर्ड ने अपने अधिकारी विरुद्ध आदेश दिनांक 10.08.2015 बोर्ड की अनुमति दिनांक 11.03.2008 व 14.03.2008 निरस्त कर दिया, जिसके विरुद्ध प्रार्थी (मुतावल्ली) को बोर्ड द्वारा धारा 64 कारण बताओ नोटिस बोर्ड के पत्र संख्या 413 दिनांक 26.05.2017 में श्री जिया अब्बास मुतावल्ली ने दिया था, जबकि बोर्ड द्वारा बिना कोई नोटिस जारी किये दिनांक 25.05.2017 में धारा 52 एवं धारा 64 का आदेश करने के बाद जबाब मांगा गया था जिसके विरुद्ध वक्फ सम्पत्ति को बोर्ड की अनुमति अनुसार क्रय करने वाले अमन इण्टरप्राइजेज ने माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने आदेश दिनांक 02.06.2017 में बोर्ड आदेश दिनांक 25.05.2017 पर स्थगन आदेश पारित किया जिसका फाइनल आदेश माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद दिनांक 12.09.2019 में वक्फ सम्पत्ति जो बोर्ड के आदेश की अनुमति दिये एक्सचेंज आफ प्रापर्टी अर्थात धारा 51 के तहत तथा बोर्ड आदेश दिनांक 10.08.2015 बोर्ड की पूर्व अनुमति दिनांक 11.03.2008 व 14.03.2008 निरस्त कर दी गयी एवं 25.05.2017 धारा 52 को कार्यवाही और बोर्ड आदेश दिनांक 10.08.2015 व 25.05.2017 को माननीय उच्च न्यायालय ने निरस्त कर दिया है तथा उक्त आदेश के अनुपालन में बोर्ड का मुतावला 5 लाख रुपये बोर्ड में जमा कराने हेतु आदेशित किया। अग्रिम कार्यवाही माननीय उच्च न्यायालय के आदेश अनुसार श्रीमान सीईओ वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा की जानी है थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश की पुष्टि व अनुपालन कराने हेतु माननीय श्रीमान अध्यक्ष वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा वक्फ बोर्ड अधिवक्ता की विधिक राय लेकर माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित 12.9.2019 को सही मानते हुए दिनांक 08.07.2022 को जिलाधिकारी महोदय मेरठ व श्रीमान वक्फ आयुक्त मेरठ महोदय को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन हेतु निर्देशित किया जिसका अनुपालन होना है। प्रार्थी के ग्राम के ही कुछ शरारती तत्व जिनका उक्त भूमि से कोई लेना देना नहीं है आपनी बताते हुए गलत तथ्यों के आधार पर एक निराधार झूठा बनवटी तथ्यों पर आधारित एक प्रर्थनापत्र श्रीमान जिलाधिकारी व कुछ अन्य अधिकारियों पर दबाव बनाने की नीयत से बड़ा चढाकर प्रस्तुत किया, चूकि प्रार्थी उक्त भूमि कर मालिक है और उसी पर काबिज चला आ रही है और विस्तार हेतु उसमें निर्माण कार्य करा रहा है इन लोगों द्वारा प्रार्थी से मोटी रंगदारी की माँग की गयी प्रार्थी द्वारा इंकार करने पर इन लोगों न प्रार्थी

Zia Abbas

को भूमिफियाँ बताते हुए एक विडियो वायरल कर थी प्रार्थी द्वारा अपने अधिवक्ता द्वारा अली मेहन्दी नकवी पुत्र हसन मेहन्दी नकवी को मानहानि का नोटिस प्रेषित कराया तो इन लोगों ने समझौते की बात की लेकिन प्रार्थी द्वारा इंकार कर देने पर विपक्षीगण द्वारा प्रार्थी पर दबाव बनाने व रंगदारी प्राप्त करने हेतु व प्रार्थी को मानसिक तनाव देने हेतु प्रार्थना पत्र फर्जी गलत तथ्यों पर उक्त जमीन को अपना बताते हुए प्रेषित कर दिया विपक्षी द्वारा दिये गये प्रार्थनापत्र में प्रार्थी द्वारा अपनी भूमि के विस्तार सम्बन्धी फोटों संलग्नक किये है लेकिन आपने मालिकाना हक सम्बन्ध कोई भी कागजात प्रार्थना पत्र के साथ संलग्नक नहीं किया है जबकि श्रीमान अध्यक्ष बोर्ड लखनऊ द्वारा कानूनी दायरे में विधि अनुरूप कार्य किया है। विपक्षीगण प्रार्थी पर दबाव बनाने व अनावश्यक रूप से मानसिक उत्पीडन करने व फैसलें का दबाव बनाने की नीयत से झूठे प्रार्थनापत्र प्रस्तुत कर रहे है जिसकी गम्भीरता से जाँच कराकर विपक्षीगणों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही कराने की कृपा करें।

दिनांक: 07/10/2022

Zia Abbas
प्रार्थी,

श्री जिया अब्बास
पुत्र स्व० श्री कमर अब्बास
मुतवल्ली वक्फ सैययद असगर हुसैन,
अलल औलाद, आई 2310, आई 2361,
निवासी 59, कोर्ट, अब्दुल्लापुर, जनपद मेरठ।
मोबाइल: 9105054786

संलग्नक:- मान्यवर के अवलोकन के लिए उपरोक्त लिखे गये पत्रों/प्रार्थना पत्रों माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश की प्रतिलिपि संलग्नक है।

1. बोर्ड के आदेश दिनांक 11.03.2002 व 14.03.2008 अनुमति की छायाप्रति।
2. पत्र बोर्ड संख्या 1419 12.03.2008 अनुमति की छायाप्रति।
3. रजिस्टर्ड मुख्तार आम दिनांक 25.11.2009 की छायाप्रति।
4. रजिस्ट्रीशुदा बैनामा दिनांक 09.12.2009 की छायाप्रति।

5. दरखास्त करबलाई अब्बास दिनांक 17.12.2009 की छायाप्रति।
6. बोर्ड पत्र संख्या 121 दिनांक 26.07.2011 की हसनैन युसुफ को अनुमति पत्र की छायाप्रति।
7. बोर्ड पत्र संख्या 1949 दिनांक 02.03.2015 जिया अब्बास को अनुमति की छायाप्रति।
8. बोर्ड पत्र संख्या 129 दिनांक 06.05.2015 जिलाधिकारी/अपर वक्फ आयुक्त मेरठ की छायाप्रति।
9. रजिस्टर्ड बैनामा दिनांक 15.04.2017 व 01.05.2017 की छायाप्रति।
10. प्रार्थना पत्र श्री जिया अब्बास व दिनांकित चैक 01.05.2017 की छायाप्रति।
11. बोर्ड पत्र संख्या 413 दिनांक 26.05.2017 की छायाप्रति।
12. जबाब श्री जिया अब्बास दिनांक 19.06.2017 की छायाप्रति।
13. बोर्ड आदेश दिनांक 25.05.2017 की छायाप्रति।
14. रिट याचिका संख्या 26134/2017 व काउण्टर व रिजाइण्डर की छायाप्रति।
15. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांकित 02.06.2017 की छायाप्रति।
16. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित फाईनल आदेश दिनांकित 12.09.2019 की छायाप्रति।
17. खतौनी वक्फ सम्पत्ति आफ एक्सचेंज आफ प्रापर्टी की छायाप्रति।
18. प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा विपक्षीगण को दिये गये मानहानि के नोटिस की प्रति।

दिनांक: 07/10/2022

Zia Abbas
प्रार्थी

श्री जिया अब्बास
पुत्र स्व० श्री कमर अब्बास
मुतवल्ली वक्फ सैययद असगर हुसैन,
अलल औलाद, आई 2310, आई 2361,
निवासी 59, कोर्ट, अब्दुल्लापुर, जनपद मेरठ।
मोबाइल: 9105054786।

सेवा में,

मा० राज्य मंत्री महोदय,

सं. 12/6/वीआईपी/अ.सं.क./मु.ता.सं. 1/21

अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ

उ०प्र० सरकार, लखनऊ।

महोदय,

जिलाधिकारी,
मेरठ

निवेदन है कि प्रार्थी रजा अब्बास वक्फ सै० असगर हुसैन रजि० नं०-12309,

नं० तहकील जी०-2310, 2361, 616 मेरठ का शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा मुतवल्ली बनाया गया है।

अबू अर्पनाही

पुनिश्चित करें।

विपक्षी जफर अब्बास व मौ० साबिर पुत्रगण मौ० मेहन्दी निवासीगण ग्राम

अब्दुल्लापुर, थाना भावनपुर, जिला मेरठ के रहने वाले शातिर व भूमाफिया किस्म के लोग

16.12.2021 हैं। ग्राम नंगलाताशी कासमपुर मेरठ में एक वक्फ सम्पत्ति बनाम असगर हुसैन पुत्र युसूफ

16.12.2021

अली रजि० नं० आई 2361 व 2310 वक्फ अलल औलाद तथा ग्राम नंगलाताशी,

अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ

कासमपुर व अब्दुल्लापुर मेरठ में वक्फ सैयद असगर हुसैन पुत्र युसूफ अली रजि० नं०

आई 616 वक्फ कारेखैर ग्राम अब्दुल्लापुर के नाम से सम्पत्ति चली आ रही थी। जफर

अब्बास व मौ० साबिर पुत्रगण मौ० मेहन्दी जिनके विरुद्ध पूर्व में भिन्न-भिन्न थानों में

मुकदमा दर्ज हैं। जिन्होंने बिना शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ उ०प्र० की बिना अनुमति

प्राप्त किये वक्फ सम्पत्ति को खुरदबुर्द करने व बेचने का अपराध किया था। जिनके विरुद्ध

थाना कंकरखेड़ा पर मु०अ०सं०-266 सन् 2013 अ०धारा 448, 120बी, मा०द०सं० व

198 जेड०एल०आर० एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए थे। और मु०अ०सं०-262/2008

अ०धारा 420, 467, 471, 379 मा०द०सं० व 4/10 वन अधिनियम के तहत थाना

भावनपुर पर मुतवल्ली करबलाई अब्बास पुत्र असगर हुसैन द्वारा कराये गये थे और

मु०अ०सं०-292 सन् 2008 अ०धारा 420, 467, 468, मा०द०सं० के तहत थाना

कंकरखेड़ा पर भी शहजाद अनवर पुत्र श्री शैक्त अली द्वारा भी दर्ज कराया जा चुका है।

कार्यालय जिला अधिकारी अपर सर्वे कमीशन वक्फ मेरठ के पत्रांक सं०-1369/अ०सं०

R. Abbas

क० वक्फ/टी-2361 जांच-2007 -08 दिनांक 24.03.2008 को अपर जिलाधिकारी नगर मेरठ ने मुतावल्ली जफर अब्बास से वक्फ के समस्त अधिकार वापस लेकर वर्तमान में मुतावल्ली श्री करबलाई अब्बास को मुतावल्ली नियुक्त कर दिया था। इसके उपरान्त भी जफर अब्बास व मौ० साबिर पुत्र मौ० मेहन्दी वक्फ सम्पत्ति की जानकारी होते हुए भी बेचा गया। शिया सेन्ट्रल बोर्ड द्वारा वर्ष 2008 में अपने पत्र सं०-748/31.12.2007 के माध्यम से तत्कालीन जिलाधिकारी महोदय/अपर वक्फ आयुक्त, जनपद मेरठ को मुतावल्ली उपरोक्त जफर अब्बास के विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराने के आदेश पारित कराने और मुतावल्ली श्री करबलाई पुत्र असगर हुसैन के वक्फ सम्पत्ति का मुतावल्ली नियुक्त करने के सम्बन्ध में दिनांक 04.07.2008 को पत्र भेजकर अवगत करा दिया था जिस पर जफर अब्बास के विरुद्ध थाना कंकरखेड़ा व थाना भावनपुर में एफ०आई०आर० दर्ज करायी गयी थी।

श्रीमान् जी को यह भी अवगत कराना है कि स्व० मौ० मेहन्दी वक्फ सम्पत्ति असगर हुसैन रजि० नं० आई 616 वक्फ कारेखेर अब्दुल्लापुर के मुतावल्ली थे। स्व० मौ० मेहन्दी की मृत्यु उपरान्त करबलाई पुत्र असगर हुसैन को नियुक्त को नियुक्त किया जाना था। लेकिन अपनी मुठमर्दी व गुण्डागर्दी के बल पर जफर अब्बास व मौ० साबिर वक्फ सम्पत्ति पर कब्जा हो गये और बजरिये मुतावल्ली वक्फ सम्पत्ति को धोखे से बेचकर अवैध रूप से धन अर्जित किया था। विपक्षी जफर अब्बास व मौ० साबिर ने बिना मुतावल्ली बने वक्फ सम्पत्ति बेची व वक्फ जमीन से मिट्टी व आम पेड़ ब्राह्म बेरी का बाग कटवाकर अवैध रूप से यह जानते हुए वक्फ सम्पत्ति है उस धन को अर्जित किया है कि वह अब वक्फ सम्पत्ति का मुतावल्ली नहीं है। विपक्षी जफर अब्बास व मौ० साबिर ने षडयंत्र के तहत वक्फ की कई करोड़ रुपये की सम्पत्ति को छलपूर्वक बेच दिया है। जफर अब्बास व मौ० साबिर ने मुतावल्ली करबलाई अब्बास के निधन के बाद फिर से कब्जा कर छल करके खसरा नं०-414 ग और 266 खसरा नम्बर व 440 खसरा नं०

R. Abbas

482 व खसरा नं०-415 खसरा नम्बर बैनामा करके कब्जा 414ग में दे दिया। वक्फ कारेखेर रजि० नं०-616 वक्फ असगर हुसैन 3 खसरा नम्बर मौके पर कब्जा करवा दिया। 266, 414ग, 440 व 482 चे चारों नम्बर वक्फ के कब्जे में नहीं है। अन्य लोगों को बैनामा करके कब्जा करवा दिये। श्री जफर अब्बास व मौ० साबिर उक्त अवैध कृत्यों को छिपाने के लिए जफर अब्बास अपने पुत्र बहादुर अब्बास जो दिल्ली में वक्फ शाहे मर्द में अपना कब्जा किये हुए है उसके जरिए शिया वक्फ बोर्ड, उ०प्र० लखनऊ में दबाव बनाये जाने हेतु भरसक कोशिश कर रहा है।

श्रीमान जी से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त वक्फ सम्पत्तियों को जल्लासी कर के जो राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराकर दो नम्बर खसरा नं०-266 व 414 में बैनामा कर दिये एवं 4 खसरा नं० पर कब्जा करवा दिया। उनके विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराये जाने हेतु श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय मेरठ एवं श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मेरठ को आदेशित/निर्देशित करने का कष्ट करें। मान्यवर की सेवा में पूर्व में किये गये सम्बन्धित विभागों से जो पत्राचार किया गया है एवं सम्पूर्ण साक्ष्यों की प्रतिलिपि संलग्न है।

दिनांक : 13-12-2021

प्रार्थी

R. Abbas

(रजा अब्बास)

मुतवल्ली वक्फ वक्फ सै० असगर हुसैन

निवासी-मोहल्ला कोर्ट, अब्दुल्लापुर,

जिला-मेरठ

रजि० नं०-12309, 12310, 2361,

616 मेरठ

मो० नं०-6395935127

सेवा में,

सं० 1215/वी.वाई.पी./अ.सं.क./मु.व.सं. 3.21

भा० राज्य मंत्री महोदय,
अल्पसंख्यक कल्याण एवं मुस्लिम वक्फ
उ०प्र० सरकार, लखनऊ।

महोदय,

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, निवेदन है कि प्रार्थी रजा अब्बास वक्फ सै० असगर हुसैन रजि० नं०-12309,
जनप० मेरठ

12310, 2361, 616 मेरठ का शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड द्वारा मुतवल्ली बनाया गया है।

विपक्षी जफर अब्बास व मौ० साबिर पुत्रगण मौ० मेहन्दी निवासीगण ग्राम
अब्दुल्लापुर, थाना भावनपुर, जिला मेरठ के रहने वाले शातिर व भ्रूमाफिया किस्म के लोग

हैं। ग्राम नंगलाताशी कासमपुर मेरठ में एक वक्फ सम्पत्ति बनाम असगर हुसैन पुत्र युसूफ
अली रजि० नं० आई 2361 व 2310 वक्फ अलल औलाद तथा ग्राम नंगलाताशी,
कासमपुर व अब्दुल्लापुर मेरठ में वक्फ सैयद असगर हुसैन पुत्र युसूफ अली रजि० नं०

आई 616 वक्फ कारेखैर ग्राम अब्दुल्लापुर के नाम से सम्पत्ति चली आ रही थी। जफर
अब्बास व मौ० साबिर पुत्रगण मौ० मेहन्दी जिनके विरुद्ध पूर्व में भिन्न-भिन्न थानों में
मुकदमा दर्ज हैं। जिन्होंने बिना शिया सेन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ उ०प्र० की बिना अनुमति
प्राप्त किये वक्फ सम्पत्ति को खुरदबुर्द करने व बेचने का अपराध किया था। जिनके विरुद्ध
थाना कंकरखेड़ा पर मु०अ०सं०-266 सन् 2013 अ०थारा 448, 120बी, भा०द०सं० व
198 जेड०एल०आर० एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज हुए थे। और मु०अ०सं०-262/2008
अ०थारा 420, 467, 471, 379 भा०द०सं० व 4/10 वन अधिनियम के तहत थाना
भावनपुर पर मुतवल्ली करबलाई अब्बास पुत्र असगर हुसैन द्वारा कराये गये थे और
मु०अ०सं०-292 सन् 2008 अ०थारा 420, 467, 468, भा०द०सं० के तहत थाना
कंकरखेड़ा पर श्री. यूसुफाद अनवर पुत्र श्री शौकत अली द्वारा भी दर्ज कराया जा चुका है।
कार्यालय जिला अधिकारी अथवा सर्वे कमीशन वक्फ मेरठ के पत्रांक सं०-1369/अ०सं०

20.12.2021
अत्याचार

482 व खसरा नं०-415 खसरा नम्बर बैनामा करके कब्जा 414ग में दे दिया। वक्फ कारेखेर रजि० नं०-616 वक्फ असगर हुसैन 3 खसरा नम्बर मौके पर कब्जा करवा दिया। 266, 414ग, 440 व 482 के चारों नम्बर वक्फ के कब्जे में नहीं है। अन्य लोगों को बैनामे करके कब्जा करवा दिये। श्री जफर अब्बास व मौ० साबिर उक्त अवैध कृत्यों को छिपाने के लिए जफर अब्बास अपने पुत्र बहादुर अब्बास जो दिल्ली में वक्फ शाहे मर्द में अपना कब्जा किये हुए है उसके जरिए शिया वक्फ बोर्ड, उ०प्र० लखनऊ में दबाव बनाये जाने हेतु भरसक कोशिश कर रहा है।

श्रीमान जी से करबद्ध प्रार्थना है कि उपरोक्त वक्फ सम्पत्तियों को जालसाजी कर के जो राजस्व अभिलेखों में अपना नाम दर्ज कराकर दो नम्बर खसरा नं०-266 व 414 में बैनामा कर दिये एवं 4 खसरा नं० पर कब्जा करवा दिया। उनके विरुद्ध एफ०आई०आर० दर्ज कराये जाने हेतु श्रीमान् जिलाधिकारी महोदय मेरठ एवं श्रीमान् वरिष्ठ पुलिस अवीक्षक मेरठ को आदेशित/निर्देशित करने का कष्ट करें। मान्यवर की सेवा में पूर्व में किये गये सम्बन्धित विभागों से जो पत्राचार किया गया है एवं सम्पूर्ण साक्ष्यों की प्रतिलिपि संलग्न है।

प्रार्थी

R. Abbas

दिनांक : 13.12.2021

(रज़ा अब्बास)

मुतवल्ली वक्फ वक्फ मौ० असगर हुसैन

निवासी-मोहल्ला कोर्ट, अब्दुल्लापुर,

जिला-मेरठ

रजि० नं०-12309, 12310, 2361,

616 मेरठ

मो० नं०-6395935127

दानिश आज़ाद अंसारी
राज्य मंत्री
अल्पसंख्यक कल्याण, मुस्लिम
वक्फ एवं हज।



कार्यालय कक्ष सं० जी-2/3
बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय,
लखनऊ

दूरभाष कार्यालय: 0522-2239277
सी०एच०: 0522-2214796

सं० 397/वी०आई०वी०/रा०मं/अल्पसंख्यक मु०व० एवं हज/2022 दिनांक: 01 सितम्बर, 2022
दिनांक 01.09.2022

जिलाधिकारी,
मेरठ।

श्री जिया अब्बास, मुतवल्ली वक्फ सैय्यद असगर हुसैन (अलल औलाद) आई 2310 व आई 2361 आदि, निवासी 59 कोर्ट, अब्दुल्लापुर, जनपद-मेरठ के संलग्न पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसमें प्रार्थी द्वारा वक्फ सम्पत्ति एवं अपनी सुरक्षा के लिए अनुरोध किया गया है।

कृपया उपरोक्त प्रकरण की जाँच कराकर कार्यवाही हेतु सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,
M. A. D.
(दानिश आज़ाद अंसारी)

प्रशिवा रोण्डल वक्फ बोर्ड
 पिन कोड: २२६००१, लखनऊ, अशोक मार्ग, लखनऊ
Shia Central Waqf Board
 1001, 017, Indira Bhiwan
 A Marg, Lucknow - 226 001, U.P.
 0522-1231011 Email: upchwboard@gmail.com
 also: www.upshlacwb.org



اتر پردیش شیعہ مرکزی وقف بورڈ
 ۸۱۷، اندرا بھون، اشوک مارگ، لکھنؤ
 فون نمبر: ۰۵۲۲-۲۲۳۱۰۱۱

No. 56807

Dated: 02-12-2021

प्रेषक
 डा० मो० नसीर हसन
 मुख्य कार्यपालक अधिकारी
 सेवा में
 जिलाधिकारी / अपर वक्फ आश्फा
 जनपद-मेरठ।

विषय:- वक्फ सी० असगर हुसैन कब्र खेर पंजीगन रा० 1-2309, 1-2310,
 स्थित-अब्दुल्लापुर, जनपद-मेरठ की जांच के तथ्यदा गे।

महोदय,
 उपरोक्त विषयक बोर्ड के अगिलेखों में पंजीकृत वक्फ है। श्री शहजाद अब्बास पुत्र
 स्व० कर्बलाई अब्बास, निवासी-167, उठेरवाड़ा, जनपद-मेरठ ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक
 02-12-2021 द्वारा बोर्ड को अवगत कराया है कि खसरा सं०-266, 414, 415, 440 व
 482 की तहसीलधार, मेरठ से जांच कराने का अनुरोध किया गया है, (छाया प्रति संलग्न)।

अतः आप से अनुरोध है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में श्री शहजाद अब्बास के प्रार्थना
 दिनांक 02-12-2021 में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपने अधीनस्थ
 अधिकारी से नियमानुसार जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही कराने तथा जांच आख्या
 बोर्ड को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे कि वक्फ की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके।

संलग्नक:- उपरोक्तानुसार।

गवर्दीय

(डा० मो० नसीर हसन)
 मुख्य कार्यपालक अधिकारी

प्रतिलिपि:-

श्री शहजाद अब्बास पुत्र स्व० कर्बलाई अब्बास, निवासी-167, उठेरवाड़ा,
 जनपद-मेरठ को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 02-12-2021 को कमा में सूचनाएं प्रेषित।

(डा० मो० नसीर हसन)
 मुख्य कार्यपालक अधिकारी
 (डा० मो० नसीर हसन)
 मुख्य कार्यपालक अधिकारी
 उजा० निवा-संयुक्त वक्फ बोर्ड

उपरो, शिया सेंट्रल वाफ बोर्ड
 आकाशवाणी, 28, मिर्जापुर, अशोक मार्ग, लखनऊ
U.P. Shia Central Waqf Board
 8th Floor, 817, Indira Bhawan
 Ashok Marg, Lucknow-226 001 U.P.
 Ph. : 0522-4234841 Email : upshiacwb@gmail.com
 Website : www.upshiacwb.org



اندریو شیا مرکزی وقف بورڈ
 8th Floor, 817, Indira Bhawan
 Ashok Marg, Lucknow-226 001 U.P.
 Ph. : 0522-4234841 Email : upshiacwb@gmail.com
 Website : www.upshiacwb.org

Ref. No. **593(10)**

Dated: **16-12-2021**

विषय

सी० जाफर हुसैन
 प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में

जिनाधिकारी/अपर वाफ आयुक्त
 जनपद-मेरठ।

विषय-उपरोक्त सी० जाफर हुसैन का जे० एच० एन० सी०/1-2309/1-2310/1-2361/1-316
 स्थित अन्दलापुर जनपद-मेरठ की जाच के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक बोर्ड के अभिलेखों में पंजीकृत वाफ है। श्री रजा अवास गुतवल्ली
 वाफ निवासी-गो० पोस्ट अन्दलापुर जनपद-मेरठ ने अपने प्रार्थना पत्र दिनांक
 13-12-2021 द्वारा बोर्ड को अवगत कराया है कि श्री जाफर अथासय श्री गो० साविर द्वारा
 वाफ सम्पत्ति पर कब्जा कर के उसका सी०-266/41/45/440 व 482 का मतामा कर के
 414ग में दे दिया जिससे वाफ सम्पत्ति का शक्ति पहुँच रही है। (जाया प्रति (सलान)।

अतः उपरोक्त के सम्बन्ध में मुझे यह अवगने का निर्देश हुआ है कि श्री रजा अवास
 गुतवल्ली के प्रार्थना दिनांक 13-12-2021 में उल्लिखित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए अपने
 अधीनस्थ अधिकारी से निम्नानुसार जाच कराकर आवश्यक कार्यवाही कराने तथा जाच
 आख्या बोर्ड को उपलब्ध कराने का कोट कर जिनसे कि अफ यो चुखा सुनिश्चित हो
 सक।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

(सी० जाफर हुसैन)
 प्रशासनिक अधिकारी

प्रतिकृति-

श्री रजा अवास गुतवल्ली वाफ निवासी-गो० पोस्ट अन्दलापुर जनपद-मेरठ को
 उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 13-12-2021 के क्रम में इस निर्देश के साथ प्रेषित कि उपरोक्त
 के सम्बन्ध में सावधानित अधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर उक्त कार्यवाही सुनिश्चित कराने
 हुए बोर्ड को अवगत कराये।

(सी० जाफर हुसैन)
 प्रशासनिक अधिकारी

सेवा में,


श्रीमान आयुक्त महोदय,

मेरठ मण्डल मेरठ।

विषय:-खसरा सं०-15/1 रकबा 13-1-5 है० स्थित ग्राम नगलाताशी मुस्तफाबाद कासमपुर की वक्फ सैय्यद असगर हुसैन (अलल औलाद) की भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शिया सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड (आठवा तल, 817 इन्दिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ) के पत्रांक संख्या-357(ii) दिनांक 08.07.2022 व माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में दायर रिट संख्या-26134 सन 2017 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2019 का अनुपालन कराते हुए वक्फ की उपरोक्त सम्पत्ति पर वक्फ के आवश्यक खर्चों की पूर्ति हेतु उक्त सम्पत्ति में दुकान निर्माण व वक्फ की सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु चार दीवारी कराने को लेकर भूमिफियाओं द्वारा अधिकारीगण को भ्रमित करने के लिए झूठे व कल्पित प्रार्थना की जांच कराने के सम्बन्ध में प्रार्थना-पत्र।

महोदय,

नियेदन यह है कि जिया अब्बास मुतवल्ली भूमि खसरा सं०-15/1 रकबा 13-1-5 है० स्थित ग्राम नगलाताशी मुस्तफाबाद कासमपुर की वक्फ सैय्यद असगर हुसैन (अलल औलाद) की भूमि के सम्बन्ध में उत्तर प्रदेश शिया सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड (आठवा तल, 817 इन्दिरा भवन अशोक मार्ग लखनऊ) के पत्रांक संख्या-357(ii) दिनांक 08.07.2022 व माननीय उच्च न्यायालय प्रयागराज में दायर रिट संख्या-26134 सन 2017 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2019 का अनुपालन कराते हुए वक्फ की उपरोक्त सम्पत्ति की सुरक्षा हेतु पर चारदीवारी वक्फ के आवश्यक खर्चों की पूर्ति हेतु दुकान का निर्माण करना चाहते हैं ताकि वक्फ की उपरोक्त सम्पत्ति को सुरक्षित भी रखा जा सकें और दुकान में व्यवसाय कर वक्फ को आमदनी भी होने लगे जिससे वक्फ के आवश्यक खर्चों की पूर्ति हो सकें, इसके लिए प्रार्थी श्री जिया अब्बास मुतवल्ली यह प्रार्थना-पत्र वक्फ की सम्पत्ति को



Zia Abbas

सुरक्षित व महफूज रखने के लिए तथा वक्फ की आमदनी बढ़ाने के लिए श्रीमान के समक्ष प्रस्तुत कर रहा है। जबकि उत्तर प्रदेश शिया सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ की अनुमति दिनांक 11.03.2008 व 14.03.2008 में प्रार्थी जिया अब्बास मुतवल्ली उपरोक्त को वक्फ एक्ट-1995 की धारा-51 के तहत उत्तर प्रदेश शिया सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ द्वारा भूमि में से भूमि का बेनामा करने, भूमि का मुख्तियारनामा किसी अन्य को देने, भूमि के सम्बन्ध में सलाकार नियुक्त करने, भूमि के सम्बन्ध में वाद दायर उसकी पैरवी हेतु वकील नियुक्त करने, विक्रय करने की अनुमति दिनांक 14.03.2008 को प्राप्त हैं। प्रार्थी/मुतवल्ली जिया अब्बास दिनांक 15.07.2022 से वक्फ की उपरोक्त सम्पत्ति पर साफ, सफाई, चार दीवारी व भूमि की सुरक्षा के लिए कर रहा है उपरोक्त भूमि को लेकर कुछ भूमाफिया किस्म के लोग जिलाधिकारी मेरठ व उपजिलाधिश मेरठ तथा श्रीमान कमिश्नर महोदय मेरठ को कल्पित व मन्घडतत प्रार्थना पत्र देकर भ्रमित कर रहे हैं और वक्फ बोर्ड की उपरोक्त सम्पत्ति पर अवैध कब्जा करने की नीयत से नजर रखे हुए हैं और उपरोक्त भूमि पर किसी भी प्रकार छल या बल से अवैध रूप से नाजायज कब्जा करने की फिराक में लगे हुए हैं जिस कारण प्रार्थी मुतवल्ली जिया अब्बास को यह प्रार्थना-पत्र देने की आवश्यकता हुई।

अतः श्रीमान जी से प्रार्थना है कि वक्फ सैय्यद असगर हुसैन (अलल औलाद) वक्फ संख्या-आई0-2361 व आई0-2310 मेरठ की खसरा संख्या-15/1 रकबा 13-1-5 है0 स्थित ग्राम नंगलाताशी मुस्तफाबाद कासमपुर परगना, तहसील व जिला मेरठ पर प्रार्थी/मुतवल्ली जिया अब्बास उत्तर प्रदेश शिया सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड के पत्रांक संख्या-357 (ii) दिनांक 08.07.2022 को प्राप्त आदेश का पालन करते हुए उक्त भूमि की साफ-सफाई, भूमि की चारदीवारी, भूमि पर दुकान आदि का निर्माण दिनांक 15.07.2022 से प्रारम्भ करा चुका है लेकिन प्रार्थी जिया अब्बास मुतवल्ली उत्तर प्रदेश शिया सैन्ट्रल वक्फ बोर्ड लखनऊ व माननीय उच्च न्यायालय

BioAbbas

प्रयागराज द्वारा रिट संख्या- 26134/2017 में पारित आदेश दिनांक 12.09.2019 के अनुसार वक्फ की उपरोक्त सम्पत्ति पर कार्य करा रहा है। लेकिन क्षेत्र के भूमाफिया क्लिस्म के लोग वक्फ की उपरोक्त सम्पत्ति को अवैध तरीके से हड़पने की नीयत से कल्पित व झूठे प्रार्थना पत्र अधिकारीगण के समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। उपरोक्त प्रकरण की निष्पक्ष जाँच कराकर वक्फ बोर्ड की उपरोक्त सम्पत्ति को हड़पने की नीयत रखने वाले भूमाफियाओं के खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही किये जाने के आदेश पारित करने की कृपा करें।

आपकी अति कृपा होगी।


दिनांक:-22.07.2022

प्रार्थी/मुतबल्ली

BioAbbas

जिया अब्बास पुत्र कमर अब्बास
 वक्फ सैय्यद असगर हुसैन (अलल
 औलाद) i-2361 व i-2310 आदि
 59 कोट अब्दुल्लापुर, परगना, तहसील
 व जिला मेरठ।

मो0न0-9105054786



(a) General Description of Occurrence
Entry No. (Date)

(b) Duration and date of occurrence (Date & Time)
(c) Address (City, State, Zip)
(d) In case, outside jurisdiction, Police Station, District
(Name of P.S. (सुबानांशु))

(e) Complainant / Informant (Name and Address)
(f) Name (Date of Birth)
(g) No. (Address)
(h) No. (Address)

(i) Vehicle (Ration Card / Voter ID / Passport / ID No. (Date of Birth))
(j) No. (Address)

(k) No. (Address)

(l) No. (Address)

12

